



136
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं/Ref.No. 348/NGT OANo 367/2022/2024-25 दिनांक/Date 07-7-2024

By E-mail


To,
The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg
New Delhi-110001.

Sub: Regarding Submission of action taken report on behalf of respondent no-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuance to the order dated 04.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application no. 367 of 2022, Rajendra Prasad Gupta versus State of U.P. .

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 04.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 367 of 2022, Rajendra Prasad Gupta versus State of U.P. The Action Taken Report on Behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures:As above

Sincerely Yours,

(U.K. Gupta)
Regional Officer

Copy to following for kind information & necessary action.

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Law Officer (I), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Shri Pradeep Misra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Regional Officer

BEFORE
THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO- 367 / 2022

IN THE MATTER OF:

Rajendra Prasad Gupta

Applicant

Versus

State of U.P.

Respondent

Order Date- 04.04.2024

Next Listing- 16.07.2024

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT
NO-3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN
PURSUANCE TO THE ORDER DATED 04.04.2024 PASSED
BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW
DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 367 OF 2022,
RAJENDRA PRASAD GUPTA VERSUS STATE OF UP.

1. That vide its order dated 04.04.2024, Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following direction:-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."




Action Taken Report

1. That Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 01.04.2024 has issued a show cause notice for imposing environmental compensation in compliance to the Order dated 21.05.2020 passed by Hon'ble Tribunal in OA No 593 of 2017, Paryavaran Suraksha Samiti & Anr versus Union of India & Ors, with OA No 148 of 2016, Mahesh Chandra Sexena versus South Delhi Municipal Corporation & Ors against the Authority concerned for treatment of untreated sewage being discharge in River Ganga and Assi. The details are as follows:

S. No.	Name of Partially/ Untapped Drain	Responsible Authority	Action Taken
1.	Assi/Nagwa Drain	Varanasi Nagar Nigam, Varanasi	Show Cause vide letter dated 01.04.2024
2.	Nakkha Drain		
3.	Samne Ghat Drain		
4.	Sayar Mata Mandir Drain	Nagar Panchayat, Sujabad, Varanasi	Show Cause vide letter dated 01.04.2024
5.	Ghatwari Mata Mandir Drain		
6.	Ghuraha Drain	Zila Panchayat, Chandauli	Show Cause vide letter dated 01.04.2024
7.	Ganda Drain	Nagar Palika Parishad, Pt. Deendayal Upadhya Nagar, Chandauli	Show Cause vide letter dated 01.04.2024
8.	Railway Drain		

2. That further in pursuance to the all show cause notices dated 01.04.2024, Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi has inspected the all



drains mentioned in the point no-1 on 16.05.2024 and 17.05.2024 respectively. The copy of the all inspection report along with analysis reports are being collectively attached as **Annexure No-1** to this report.

3. That further in pursuance to the show cause notices dated 01.04.2024 and findings of the inspection reports, Uttar Pradesh Pollution Control Board vide different letters has imposed Environmental Compensation against the Authority concerns for not setting up adequate sewage treatment plant for treatment of sewage which is being discharge in River Ganga through the concerned partially tapped or untapped drains. The details are as follows:

S. No.	Name of Partially/ Untapped Drain	Responsible Authority	Environmental Compensation Imposed (₹)
1.	Assi/Nagwa Drain	Varanasi Nagar Nigam, Varanasi	6.90 Cr
2.	Nakkha Drain		
3.	Samne Ghat Drain		
4.	Sayar Mata Mandir Drain	Nagar Panchayat, Sujabad	2.27 Cr
5.	Ghatwari Mata Mandir Drain		
6.	Ghuraha Drain	Zila Panchayat, Chandauli	2.30 Cr
7.	Ganda Drain	Nagar Palika Parishad, Pt. Deendayal Upadhya Nagar, Chandauli	4.60 Cr
8.	Railway Drain		



The copy of the letters dated 01.07.2024, 13.06.2024 and 04.07.2024 are being collectively attached herewith as **Annexure No-2** to this report.

Therefore, the above action taken report on behalf of the Respondent No-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before the Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.



(U.K. Gupta)
Regional Officer
UP Pollution Control Board
Varanasi

गंगा नदी में अस्सि/नगवॉ ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं नक्खा ड्रेन से निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण उत्तरदायी स्थानीय निकाय नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08847/सी-6/ साओ-274/नओनि0वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिसा के सम्बंध में निरीक्षण आख्या।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08847/सी-6/ साओ-274/नओनि0वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा अस्सि/नगवॉ ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं नक्खा ड्रेन से निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के सम्बंध में नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिसा जारी किया गया है तथा उक्त स्थानीय निकाय को 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिसा दिनांक 01.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्र से अस्सि/नगवॉ ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं नक्खा ड्रेन का स्थलीय निरीक्षण अधोहरताक्षरीगण द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुनील कुमार गौतम, सुपरवाइजर, भेलूपुर जोन, नगर निगम, वाराणसी एवं श्री सुगित गुप्ता, अस्सिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	नालों का नाम	टैंड/अनटैंड	शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण	उत्तरदायी संस्था
1	नक्खा ड्रेन	पार्शियली टैंड	50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, रमना	नगर निगम, वाराणसी
2	सामने घाट ड्रेन	पार्शियली टैंड	(नक्खा ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं	नगर निगम, वाराणसी
3	अस्सि/नगवॉ ड्रेन	पार्शियली टैंड	अस्सि/नगवॉ ड्रेन से सीवेज को सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय अस्सि/नगवॉ ड्रेन से लगभग 50 एम०एल०डी० सीवेज नगवॉ पम्पिंग स्टेशन से पम्प कर रमना स्थित एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धीकरण हेतु ले जाया जा रहा था तथा लगभग 28 एम०एल०डी० अशुद्धीकृत सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। यद्यपि अस्सि/नगवॉ ड्रेन से निस्तारित हो रहे लगभग 28 एम०एल०डी० सीवेज के ट्रीटमेंट हेतु नेशनल मिशन फॉर बलीन गंगा (एन.एम.सी.जी.) द्वारा नमामि गंगे प्रोग्राम के अन्तर्गत मेसर्स ओजोन रिसर्च एण्ड एप्लीकेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 01.12.2023 को "एडवांस्ड आक्सीडेशन प्रोसेस" की स्थापना एवं संचालन हेतु वर्क आर्डन निर्गत किया गया है। निरीक्षण के समय "एडवांस्ड आक्सीडेशन प्रोसेस" प्लांट स्थापित पाया गया किन्तु निरीक्षण के समय संचालित नहीं पाया गया। उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि अस्सि/नगवॉ ड्रेन की पूर्णतया बैरिकेडिंग न होने एवं अन्य तकनीकी कारण से प्लांट का संचालन नहीं हो सका है। निरीक्षण के समय अस्सि/नगवॉ ड्रेन से निस्तारित हो रहे अशुद्धीकृत बहिस्राव के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में 1000000, सी0ओ0डी0, सस्पेन्डेड सॉलिड्स एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी। पूर्व में अस्सि/नगवॉ ड्रेन से निस्तारित किये जा रहे सीवेज का शुद्धीकरण मायोरेमिडिएशन प्रक्रिया द्वारा जलकल	नगर निगम, वाराणसी

			<p>विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा किया जा रहा था। नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया विगत 15 दिन पूर्व वायोरेमिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था को हटा दिया गया है।</p> <p>निरीक्षण के समय गंगा नदी में नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन के माध्यम से अशुद्धीकृत सीवेज निस्तारित होता हुआ पाया गया तथा वायोरेमिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था भी हटा लिया गया था। नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के नमूने का एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बीओडी, सीओडी, सरस्पेन्डेड सॉलिड्स एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।</p>		
4	शिवाला ड्रेन	टैपड	80 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, दीनापुर	नगर निगम, वाराणसी	
5	हरिश्चन्द्र घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
6	मानसरोवर घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
7	पाण्डेय घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
8	डॉ0 आर0पी0 घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
9	मीरघाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
10	ललिता घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
11	जलासेन घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
12	गणिकर्णिका घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
13	संकटा घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
14	मेहता घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
15	रामघाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
16	पंच गंगा घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
17	ब्रह्मा घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
18	लालघाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
19	त्रिलोचन घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
20	तेलिया ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
21	भैंसासुर घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
22	राज घाट ड्रेन	टैपड		नगर निगम, वाराणसी	
23	राज घाट आउटफॉल	टैपड		80 एम0एल0डी0 / 140 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, दीनापुर	नगर निगम, वाराणसी
24	रामवाग घाट ड्रेन	टैपड		10 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, रामनगर	नगर निगम, वाराणसी
25	बलुआ घाट ड्रेन	टैपड			नगर निगम, वाराणसी
26	शक्ति घाट ड्रेन	टैपड			नगर निगम, वाराणसी
27	सलोटरी घाट ड्रेन	टैपड	नगर निगम, वाराणसी		
28	हनुमान घाट ड्रेन	टैपड	नगर निगम, वाराणसी		

निरीक्षण के समय गंगा नदी में अरि/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से निस्तारित हो रहे अशुद्धीकृत सीवेज का लिए गये फोटोग्राफस अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण के समय अरि/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Assi/Nagwa drain before meeting with River Ganga near Sant Ravidas Park, Nagwa, Varanasi	17.05.2024	7.34	104	416	212	460000	210000
2	Nakkhi drain before meeting with River Ganga, Varanasi.	17.05.2024	7.41	48	284	148	150000	70000
3	Samne Ghat drain before meeting with River Ganga Samne Ghat, Varanasi	17.05.2024	7.21	112	430	206	220000	130000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	-	>1000

उपरोक्त बहिस्राव के नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि असि/नगवाँ ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से निस्तारित हो रहे बहिस्राव की गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मूत्रको से अधिक है।

अवगत कराना है कि उत्तरदायी स्थानीय निकाय नगर निगम, वाराणसी के द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08847/सी-6/ सा0-274/न0नि0वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में कोई उत्तर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के विन्दु सं0-08 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 8. Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:


47. We now sum up our directions as follows:


- 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.
- Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP."


वर्तमान में उपरोक्त समय सीमा के परिप्रेक्ष्य में ओ0ए0 सं0 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन/माह रू0 5.0 लाख (रू0 पाँच लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उक्त स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 01.07.2020 से देय है। नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित उक्त नालों से गंगा नदी में निर्धारित मानको से अधिक निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उक्त स्थानीय निकाय नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित असि/नगवाँ ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे बहिस्राव की गुणता निर्धारित मानको से अधिक पाये जाने तथा सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण उत्तरदायी स्थानीय निकाय नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन /माह रू0 5.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 01.07.2020 अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 01.04.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संरतुति की जाती है।


(एस0के0 पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


(रणजीत कुमार)
अनुश्रवण सहायक


(आर0एन0 चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक


(सी0पी0 वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,



REGIONAL LABORATORY VARANASI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Avs Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26454780/Varanasi/2024

Date: 28/05/2024

- 1- Name of Industry: Assi/Nagavan Drain,
- 2- Address of Industry: -
- 3- District: Varanasi
- 4- Description about sampling point: ASSI/ NAGAWA DRAIN NAGAWA VARANASI
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & Ranjeet Kumar MA, SK PANDEY LA
- 7- Colour and Odour: BLACKISH UNPLEASANT
- 8- Quantity and Packing: 2 LITRE PLASTIC JERICANE & 01 LITRE GLASS BOTTLE
- 9- Date of Sample Collection: 17/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 17/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.34	5.5 - 9.0	02-12
*Oil_Grease	mg/l	12	10	-
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	212	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	836	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed. 2540 B: 2023	mg/l	1048	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	460000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	210000	>1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	104	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	416	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark: NA

Analysed by-
 [Sangeeta Murty(JRF), Mohini Singh(JRF), Shivani Pandey(JRF)]

Authorized by
 CHANDRA
 PRAKASH VERMA
 Chandra Prakash Verma (SA)

Digitally signed by CHANDRA PRAKASH VERMA
 Date: 2024.05.29 11:28:19 +05'30'

SURESH
 CHANDRA
 SHUKLA
 Regional Officer

Digitally signed by SURESH CHANDRA SHUKLA
 Date: 2024.05.29 11:47:48 +05'30'



145

REGIONAL LABORATORY VARANASI UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Avas Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26454770/Varanasi/2024

Date: 28/05/2024

- 1- Name of Industry: NAKIKA DRAIN
- 2- Address of Industry: -
- 3- District: Varanasi
- 4- Description about sampling point: NAKIKA DRAIN VARANASI
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & Ranjeet Kumar MA, SK PANDEY LA
- 7- Colour and Odour: BLACKISH UNPLEASANT
- 8- Quantity and Packing: 2 LITRE PLASTIC JERICANE & 01 LITRE GLASS BOTTLE
- 9- Date of Sample Collection: 17/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 17/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.41	5.5-9.0	02-12
*Oil Grease	mg/l	8.2	10	-
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	148	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	570	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed. 2540 B: 2023	mg/l	718	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	150000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	70000	>1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	48	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	284	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Sangeeta Murty(JRF), Mohini Singh(JRF), Shivani Pandey(JRF)]

Authorized by
CHANDRA PRAKASH VERMA
Digitally signed by CHANDRA PRAKASH VERMA
Date: 2024.05.28 13:40:39 +05'30'
Chandra Prakash Verma (SA)

SURESH CHANDRA SHUKLA
Digitally signed by SURESH CHANDRA SHUKLA
Date: 2024.05.28 13:47:28 +05'30'
Regional Officer



REGIONAL LABORATORY VARANASI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Avas Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26454777/Varanasi/2024

Date: 28/05/2024

- 1- Name of Industry: Samneghat Drain,
- 2- Address of Industry: -
- 3- District: Varanasi
- 4- Description about sampling point: SAMNEGHAAT DRAIN SAMNEGHAAT VARANASI
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & Ranjeet Kumar MA, SK PANDEY LA
- 7- Colour and Odour: BLACKISH UNPLEASANT
- 8- Quantity and Packing: 2 LITRE PLASTIC JERICANE & 01 LITRE GLASS BOTTLE
- 9- Date of Sample Collection: 17/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 17/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.21	5.5 - 9.0	02-12
*Oil Grease	mg/l	12	10	-
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	206	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	788	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed. 2540 B: 2023	mg/l	994	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	220000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	130000	>1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	112	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	430	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1. The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark: NA

Analysed by-
 [Sangeeta Murty(JRF), Mohini Singh(JRF), Shivani Pandey(JRF)]

Authorized by
 CHANDRA
 PRAKASH VERMA
 Chandra Prakash Verma (SA)

Digitally signed by CHANDRA PRAKASH VERMA
 Date: 2024.05.28 11:46:00 +05'30'

SURESH
 CHANDRA
 SHUKLA
 Regional Officer


Digitally signed by SURESH CHANDRA SHUKLA
 Date: 2024.05.28 11:46:50 +05'30'



Assi/Nagwa drain, Nagwa, Varanasi



Samne Ghat drain, Varanasi



Nakhkha drain, Varanasi

गंदा नाला एवं रेलवे नाला से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण उत्तरदायी स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08850/सी-6/सा०-11/न०पा०परि०/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में आख्या।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08850/सी-6/सा०-11/न०पा०परि०/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा गंदा नाला एवं रेलवे नाला से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के सम्बंध में नगर पालिका परिषद, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा उक्त स्थानीय निकाय को 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका परिषद, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के क्षेत्र से गंदा नाला एवं रेलवे नाला का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीकरण द्वारा दिनांक 16.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सुनील प्रसाद, सफाई निरीक्षक स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	नालों का नाम	शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण	उत्तरदायी संस्था
1	गंदा नाला (पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर)	बायोरेमिडिएशन के पश्चात् शुद्धीकृत बहिस्त्राव गंगा नदी में निस्तारित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे बायोरेमिडिएशन के पश्चात् शुद्धीकृत बहिस्त्राव के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार शुद्धीकृत बहिस्त्राव के नमूने में बी०ओ०डी० की मात्रा-68 मिलीग्राम/लीटर, सी०ओ०डी० की मात्रा-324 मिलीग्राम/लीटर, सस्पेन्डेड सॉलिड्स की मात्रा-190 मिलीग्राम/लीटर, ऑयल एण्ड ग्रीस की मात्रा-11 मिलीग्राम/लीटर एवं फीकल कॉलीफार्म -1,30,000 एम.पी०एन./100 मि.ली. पायी गयी, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक है।	नगर पालिका परिषद, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली
2	रेलवे नाला (पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर)	बायोरेमिडिएशन के पश्चात् शुद्धीकृत बहिस्त्राव गंगा नदी में निस्तारित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे बायोरेमिडिएशन के पश्चात् शुद्धीकृत बहिस्त्राव के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार शुद्धीकृत बहिस्त्राव के नमूने में बी०ओ०डी० की मात्रा-84 मिलीग्राम/लीटर, सी०ओ०डी० की मात्रा-344 मिलीग्राम/लीटर, सस्पेन्डेड सॉलिड्स की मात्रा-182 मिलीग्राम/लीटर, ऑयल एण्ड ग्रीस की मात्रा-12 मिलीग्राम/लीटर एवं फीकल कॉलीफार्म -94,000 एम.पी०एन./100 मि.ली. पायी गयी, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक है।	नगर पालिका परिषद, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली

निरीक्षण के समय गंगा नदी में गिरने वाले गंदा नाला एवं रेलवे नाला से लिए गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण के समय गंदा नाला एवं रेलवे नाला से बायोरेमिडिएशन के पश्चात् एकत्रित किये गये ट्रीटेड सीवेज की गुणता निम्नवत् पायी गयी:-

है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Ganda Nala after bioremediation Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Chandauli	16.05.2024	7.27	68	324	190	2,20,000	1,30,000
2	Railway Nala after bioremediation Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Chandauli	16.05.2024	7.31	84	344	182	1,50,000	94,000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	-	>1000

उपरोक्त बहिस्त्राव के नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि गंदा नाला एवं रेलवे नाला से निस्तारित हो रहे बहिस्त्राव की गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक है।

अवगत कराना है कि उत्तरदायी स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08850/सी-6/सा०-11/न०पा०परि०/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में कोई उत्तर इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।

मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के बिन्दु सं०-08 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 8. Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 In

O.A. No. 673/2018 directing as follows:

47. We now sum up our directions as follows:

क्रमांक: 2/-पर

- i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.
- ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP."


वर्तमान में उपरोक्त समय सीमा के प्ररिप्रेक्ष्य में ओ0ए0 सं0 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन/माह रू0 5.0 लाख (रू0 पाँच लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उक्त स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 01.07.2020 से देय है। नगर पालिका परिषद, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित उक्त नालों से गंगा नदी में निर्धारित मानको से अधिक निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उक्त स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित गंदा नाला ड्रेन एवं रेलवे नाला ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे बहिष्काव की गुणता निर्धारित मानको से अधिक पाये जाने तथा सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण उत्तरदायी स्थानीय निकाय नगर पालिका परिषद, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन /माह रू0 5.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 01.07.2020 अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 01.04.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।


28-5-24
(एस0के0 पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक


28/5/24
(रणजीत कुमार)
अनुश्रवण सहायक


28.5.24
(आर0एन0 चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक


28/05/24
(सी0पी0 वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


28/5/24



REGIONAL LABORATORY VARANASI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Avs Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26432658/Varanasi/2024

Date: 28/05/2024

- 1- Name of Industry: Ganda Drain, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Chandauli
- 2- Address of Industry: Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar
- 3- District: Chandauli
- 4- Description about sampling point: Ganda Drain Near Village Ledhuwapur, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Chandauli
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & R.N. Chaudhary SA
- 7- Colour and Odour: BLACKISH UNPLEASANT
- 8- Quantity and Packing: 2 LITER PLASTIC JERRICAN, MPN AND 1.0 LITER GLASS BOTTLE
- 9- Date of Sample Collection: 16/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 16/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.27	5.5-9.0	02-12
*Oil Grease	mg/l	11	10	-
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	190	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	722	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed. 2540 B: 2023	mg/l	912	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	220000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	130000	>1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	68	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	324	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (I) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
 [Kankshi Sahu(JRF), Shyam
 Tripathi(JRF), Himanshu
 Srivastava(JRF)]

Authorized by
 CHANDRA Digitally signed by CHANDRA PRAKASH VERMA
 PRAKASH VERMA Date: 2024.05.28 11:41:17 +05'37'
 Chandra Prakash Verma (SA)

SURESH
 CHANDRA
 SHUKLA
 Regional Officer

Digitally signed by SURESH CHANDRA SHUKLA
 Date: 2024.05.28 11:48:30 +05'37'



REGIONAL LABORATORY VARANASI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Avas Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26432814/Varanasi/2024

Date:28/05/2024

- 1- Name of Industry: Railway Drain, Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar,Chandauli
- 2- Address of Industry: Pandit Deen Dayal Nagar
- 3- District: Chandauli
- 4- Description about sampling point: Railway Drain Near Village Rauna,Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar,Chandauli
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & R.N.Chaudhary SA
- 7- Colour and Odour: BLACKISH UNPLEASANT
- 8- Quantity and Packing: 2 LITER PLASTIC JERRICAN, MPN AND 1.0 LITER GLASS BOTTLE
- 9- Date of Sample Collection: 16/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 16/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.31	5.5-9.0	02-12
*Oil Grease	mg/l	12	10	-
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	182	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	710	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	892	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	150000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	94000	>1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	84	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	344	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2 The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Kankshi Sahu(JRF), Shivam Tripathi(JRF), Himanshu Srivastava(JRF)]

Authorized by
CHANDRA PRAKASH VERMA
Digitally signed by CHANDRA PRAKASH VERMA Date: 2024.05.28 11:40:23 +05'30'
Chandra Prakash Verma (SA)

SURESH CHANDRA SHUKLA
Digitally signed by SURESH CHANDRA SHUKLA Date: 2024.05.28 11:47:27 +05'30'
Regional Officer



Ganda Nala near Village-Leduapur, Chandauli



Latitude: 25.321089
Longitude: 83.140794
Elevation: 78.51±4 m
Accuracy: 4.0 m
GPSTime: 16-05-2024 17:13
Note: Railway Nala Before Confluence with River Ganga near Vill. Rauna

Powered by NoteCam

**Railway Nala Before Confluence with River Ganga near
Village-Rauna, Chandauli**

* घुरहा नाला से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण उत्तरदायी विभाग जिला पंचायत, चन्दौली के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08848/सी-6/सा0-05/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में आख्या।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08848/सी-6/ सा0-05/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा घुरहा नाला से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के सम्बंध में जिला पंचायत, चन्दौली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा उक्त स्थानीय निकाय को 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत, चन्दौली के क्षेत्र से घुरहा नाला का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री संतोष कुमार, सहायक अभियंता एवं श्री अनिल कुमार, अवर अभियंता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निर्माण खण्ड प्रथम, भगवानपुर, वाराणसी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	नालों का नाम	शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण	उत्तरदायी विभाग
1	घुरहा नाला	घुरहा नाले के किनारे स्थित ग्राम-पटनवा एवं हमीदपुर, जनपद-चन्दौली से जनित अनट्रीटेड सीवेज प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निस्तारित किया जाता है, जो मल्टी मॉडल टर्मिनल, इनलैण्ड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इण्डिया, राहूपुर के समीप गंगा नदी में मिलता है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे वेस्ट वाटर के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार वेस्ट वाटर के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, टी0एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।	जिला पंचायत, चन्दौली

निरीक्षण के समय गंगा नदी में गिरने वाले घुरहा नाला से लिए गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण के समय घुरहा नाला से लिए गये वेस्ट वाटर के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Oil & Grease	FC (MPN/ml)
1	Ghuraha drain before confluence with River Ganga, Ralhupur, Tengra Mod, Varanasi	17.05.2024	7.32	42	268	154	12	170000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	-	>1000

उपरोक्त वेस्ट वाटर के नमूने की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि घुरहा नाला से निस्तारित हो रहे बहिस्त्राव की गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक है।

अवगत कराना है कि उत्तरदायी विभाग जिला पंचायत, चन्दौली द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08848/सी-6/ सा0-05/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत राज अधिकारी, चन्दौली के पत्रांक 48/7-पं0रा0/स्था0/2024-25, दिनांक 04.04.2024 द्वारा प्रतिउत्तर इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जो अवलोकनार्थ संलग्न है। जिला पंचायत राज अधिकारी, चन्दौली द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.04.2024 में निम्न अनुरोध किया गया है:-

- यह कि अधोहस्ताक्षरी जिला पंचायत विभाग में कार्यरत नहीं है। जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी का पद होता है, जिनके द्वारा जिला पंचायत में पारित प्रस्ताव एवं शासनादेशों के अनुसार सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराये जाते हैं। जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जो एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्डों से जुड़े हुए हों अथवा कई ग्राम पंचायतों, जिस कार्य से लाभान्वित हों।
- यह कि अधोहस्ताक्षरी जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली के पद पर कार्यरत है, जिसका क्षेत्र ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में निर्माण कार्यों को कराने हेतु कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं होती। राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की धनराशि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत को आवंटित होती है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय कार्यदायी संस्था नहीं है।
- उपरोक्त स्थिति के बावजूद भी मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 18.02.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से उनके कार्यालय पत्रांक 3755 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा अधिरासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निर्माण खण्ड प्रथम भगवानपुर वाराणसी से घुरहा नाला के उद्यवाह शोधन का आगपन तैयार कराया गया।

क्रमशः 2/-पर-

4. यह कि अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निर्माण खण्ड प्रथम भगवानपुर वाराणसी के कार्यालय के पत्र संख्या 240 दिनांक 09.02.2024 द्वारा घुरहा नाला के उत्प्रवाह शोधन का आगणन अनुमानित लागत मु०-303.94 लाख ₹० तैयार कर प्रेषित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त आगणन में सन्निहित धनराशि की मांग जिलाधिकारी महोदय चन्दौली के पत्र संख्या-3953 दिनांक 19.02.2024 द्वारा निदेशक महोदय पंचायती राज उ०प्र० लखनऊ से की गयी है लेकिन धनराशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई मार्गदर्शन ही प्राप्त हुआ है।
6. यह कि उपरोक्त आगणन में सन्निहित धनराशि की मांग जिलाधिकारी महोदय चन्दौली के पत्र संख्या-4009 दिनांक 24.02.2024 द्वारा प्रबंध निदेशक उ०प्र० जल निगम लखनऊ से भी की गयी है लेकिन वांछित धनराशि अब तक उपलब्ध नहीं हो पायी है।
7. यह कि जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपरोक्त वर्णित घुरहा नाले के उत्प्रवाह के शोधन हेतु संयंत्र तैयार कराने हेतु इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध नहीं है और न ही यह विभाग इस तरह के कार्य के लिए विशेषज्ञ है, जिस कारण घुरहा नाला के माध्यम से जल के उत्प्रवाह के शोधन हेतु जिलाधिकारी महोदय के स्तर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र जारी कराते हुए यह अनुरोध किया गया है कि प्राक्कलन में सन्निहित धनराशि उ०प्र० जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराया जाय।

निरीक्षण के समय पटनवों ड्रेन के माध्यम से ग्राम-पटनवों से जनित अशोधित घरेलू बहिष्वाव जो घुरहा नाला में निस्तारित होता है, पटनवों तिराहे के समीप वेस्ट वाटर के नमूने का एकत्रण किया गया। एकत्रित किये गये वेस्ट वाटर के नमूने में जल प्रदूषणकारी प्राचालकों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी। विश्लेषण आख्या एवं निरीक्षण के समय लिए गये फोटोग्राफ अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त से स्पष्ट है कि घुरहा नाला की जल गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पाये जाने में पटनवों ड्रेन का भी योगदान है।

मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के बिन्दु सं०-08 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 8. Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

47. We now sum up our directions as follows:

- i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.
- ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP."

वर्तमान में उपरोक्त समय सीमा के प्ररिप्रेक्ष्य में ओ०ए० सं० 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन/माह ₹० 5.0 लाख (₹० पाँच लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उक्त स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 01.07.2020 से देय है। जिला पंचायत, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित उक्त नाले से गंगा नदी में निर्धारित मानको से अधिक निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उक्त उत्तरदायी विभाग जिला पंचायत, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित घुरहा नाला से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे बहिष्वाव की गुणता निर्धारित मानको से अधिक पाये जाने तथा सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण उत्तरदायी विभाग जिला पंचायत, चन्दौली के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन /माह ₹० 5.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 01.07.2020 अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 01.04.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(एस०के० पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक

(रणजीत कुमार)
अनुश्रवण सहायक

(आर०एन० चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक

(सी०पी० वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,





REGIONAL LABORATORY VARANASI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Avas Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26576261/Varanasi/2024

Date: 28/05/2024

- 1- Name of Industry: GHURAHA DRAIN BEFORE CONFLUENCE WITH RIVER GANGA TENGARA MORH VARANASI
- 2- Address of Industry: GHURAHA DRAIN BEFORE CONFLUENCE WITH RIVER GANGA TENGARA MORH VARANASI
- 3- District: Varanasi
- 4- Description about sampling point: GHURAHA DRAIN BEFORE CONFLUENCE WITH RIVER GANGA TENGARA MORH VARANASI
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & Ranjeet Kumar MA
- 7- Colour and Odour: Blackish Unpleasant
- 8- Quantity and Packing: 2 Ltr. Plastic Jerrycane, MPN & Glass Bottle
- 9- Date of Sample Collection: 17/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 17/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.32	5.5-9.0	02-12
*Oil_Grease	mg/l	12	10	-
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	154	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	658	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	812	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	320000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	170000	<1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	42	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	268	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Kankshi Sahu(JRF), Gyan Dutta
Verma(JRF), Shivam Tripathi(JRF)]

Authorized by
CHANDRA
PRAKASH VERMA
Chandra Prakash Verma (SA)

Digitally signed by CHANDRA
PRAKASH VERMA
Date: 2024.05.28 17:12:09
+05'30'

SURESH
CHANDRA
SHUKLA
Regional Officer

Digitally signed by
SURESH CHANDRA
SHUKLA
Date: 2024.05.28
17:17:51 +05'30'



REGIONAL LABORATORY VARANASI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Avas Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26443221/Varanasi/2024

Date: 28/05/2024

- 1- Name of Industry: PATNAWA DRAIN
- 2- Address of Industry: PATNAWA DRAIN NEAR PATNAWA TIRAHHA BEFORE MEETING WITH GHURAHHA DRAIN PATNAWA CHANDAULI
- 3- District: Chandauli
- 4- Description about sampling point: PATNAWA DRAIN NEAR PATNAWA TIRAHHA , BEFORE MEETING WITH GHURAHHA DRAIN PATNAWA CHANDAULI
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & Ranjeet Kumar MA
- 7- Colour and Odour: BLIKISH UNPLEASENT
- 8- Quantity and Packing: 2.0 LITER PLASTIC JERICANE & 1.0 LITER GLASS BOTTLE
- 9- Date of Sample Collection: 17/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 17/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.18	5.5 - 9.0	02-12
*Oil Grease	mg/l	14	10	-
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	214	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	984	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed. 2540 B: 2023	mg/l	1198	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	2500000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	1300000	<1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	114	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	492	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA


Analysed by-
[Shivam Tripathi(JRF), Gyan Dutta Verma(JRF), Kankshi Sahu(JRF)]

Authorized by
CHANDRA Digitally signed by CHANDRA
CHANDRA PRAKASH VERMA CHANDRA PRAKASH VERMA
Chandra Prakash Verma (SA)

SURESH Digitally signed by
CHANDRA SURESH CHANDRA
SHUKLA SHUKLA
Date: 2024.05.28
12:43:10 +05'30'
Regional Officer



**Ghuraha nala before confluence with River Ganga, Tengra Morh,
Varanasi**



Patnawa drain near Patnawa Tiraha before meeting with Ghuraha drain, Patnawa, Chandauli

प्रेषक,
जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (यूत्त-0)
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक /7-पं०रा०/स्था०/2024-25
महोदय,

दिनांक 04- अप्रैल, 2024

कृपया अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित अपने कार्यालय सन्दर्भ संख्या- एच०ओ०-8849/सी०-6/सा०-05/वाराणसी/2024 दिनांक 01.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो गा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए०संख्या-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन के सम्वन्ध में है। इस पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जनपद-चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित घुरहा नाले से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी विभाग जिला पंचायत चन्दौली के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है। उक्त के सम्वन्ध में निम्नांकित अनुरोध करना है :-

1. यह कि अधोहस्ताक्षरी जिला पंचायत विभाग में कार्यरत नहीं है। जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी का पद होता है, जिनके द्वारा जिला पंचायत में पारित प्रस्ताव एवं शासनादेशों के अनुसार सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराये जाते हैं। जिला पंचायत द्वारा ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जो एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्डों से जुड़े हुए हों अथवा कई ग्राम पंचायतों जिस कार्य से लाभान्वित हों।
2. यह कि अधोहस्ताक्षरी जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली के पद पर कार्यरत है, जिसका क्षेत्र ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों से सम्वन्धित है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में निर्माण कार्यों को कराने हेतु कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं होती। राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त की धनराशि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत को आवंटित होती है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय कार्यदायी संस्था नहीं है।
3. उपरोक्त स्थिति के बावजूद भी मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से उनके कार्यालय पत्रांक 3755 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निर्माण खण्ड प्रथम भगवानपुर वाराणसी से घुरहा नाला के उत्प्रवाह शोधन का आगणन तैयार कराया गया। संलग्नक-1
4. यह कि अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निर्माण खण्ड प्रथम भगवानपुर वाराणसी के कार्यालय पत्र संख्या-240 दिनांक 09.02.2024 द्वारा घुरहा नाला के उत्प्रवाह

5/2/24/11/124
12/4/24

उत्तरदायी
12/4/24

12/4/24

शोधन का आगणन अनुमानित लागत मु0-303.94 लाख रू0 तैयार कर प्रेषित किया गया है।
संलग्नक-2

5. यह कि उपरोक्त आगणन में सन्निहित धनराशि की गांग जिलाधिकारी महोदय चन्दौली के पत्र संख्या-3953 दिनांक 19.02.2024 द्वारा निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ से ली गयी है लेकिन धनराशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई मार्गदर्शन ही प्राप्त हुआ है। संलग्नक-3.

6. यह कि उपरोक्त आगणन में सन्निहित धनराशि की गांग जिलाधिकारी महोदय चन्दौली के पत्र संख्या-4009 दिनांक 24.02.2024 द्वारा प्रबंध निदेशक उ0प्र0 जल निगम लखनऊ से भी की गयी है लेकिन वांछित धनराशि अब तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। संलग्नक-5 4.

7. यह कि जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपरोक्त वर्णित घुरहा नाले के उत्प्रवाह के शोधन हेतु संयंत्र तैयार कराने हेतु इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध नहीं है और न ही यह विभाग इस तरह के कार्य के लिए विशेषज्ञ है, जिस कारण घुरहा नाला के माध्यम से जल के उत्प्रवाह के शोधन हेतु जिलाधिकारी महोदय के स्तर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र जारी कराते हुए यह अनुरोध किया गया है कि प्राक्कलन में सन्निहित धनराशि उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराया जाय।

अतः उपरोक्त आधारों पर अनुरोध है कि घुरहा नाले के माध्यम से प्रवाहित हो रहे गन्दे जल के शोधन हेतु संयंत्र लगाने के लिए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कोई भी न तो लापरवाही की गयी है और न ही कोई देर की गयी है। इसलिए अधोहस्ताक्षरी को जारी कारण बताओ नोटिस को उपरोक्त आधारों पर समाप्त करने का कष्ट करें तथा अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) भगवानपुर वाराणसी द्वारा प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष धनराशि विशेषज्ञ कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ब्रह्मचारी दूवे)

जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

पत्रांक 48 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य अधिकारी महोदय जिला पंचायत चन्दौली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास उ0प्र0 शासन लखनऊ।


जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

दिनांक- 28/08/2023, वि.सं.सं. 367/2022-23

दिनांक- 04/12/2023

जिलाधिकारी कार्यालय,
चन्दौली, जिला चन्दौली,
उत्तर प्रदेश (कानौज)
20230828, 367/2022

आपका पत्र संख्या 2023 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड चारापत्ती के अन्तर्गत संख्या-2109 दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त किया गया है। इसमें जिलाधिकारी के संख्या-10 का दिनांक-04.12.2023 में उल्लिखित है कि घंघरा गाँव रामनगर नागा जोकि गंगा नदी में प्रवाहित होता है, इस मुद्दा का जल निकास जाना जाता है। इस नाले से रामनगर इन्टरनैशनल एरिया फेज-1 से प्रवाहित होने वाले दूषित जल तथा ग्राम पंचायत पटनवा व हनौदपुर जनपद-चन्दौली के बसापटों से भी छोटे-छोटे नाले इस नाले में गिरकर गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे हैं। इस प्रदूषण को कम किये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के न्यायालय में ऑरिजनल एप्लीकेशन नम्बर 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिनांक 04.12.2023 को आदेश पारित किया गया है। इसके पूर्व ऑरिजनल एप्लीकेशन नम्बर-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिनांक 28.08.2023 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गयी थी :-

- At least 25% of treated waste water within 6 months;
- At least 50% of treated waste water within 12 months;
- At least 75% of treated waste water within 24 months;
- 100% of treated waste water within 48 months;
- The domestic sewage generated from the multimodal terminal should also be treated by installation of adequate STP and the treated effluent shall be reused in the terminal area for gardening/irrigation/dust suppression.
- District panchayati raj officer, chandauli may be directed to develop faecal sludge & septage management system for the treatment of the municipal sewage, generated from habitations near Ghurcha drain, either through faecal sludge treatment plant or co-processing at nearby STPs at Ramnagar or Ramna-varanasi."

अतः आपका निर्देशित किया जाता है कि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड चारापत्ती द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए तथा स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर औद्योगिक क्षेत्र रामनगर संख्या-1 से निकलने वाला घुरचा नाले के दूषित जल को शोधित करने हेतु प्रावधान तैयार कर 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें, जिससे गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले जल को शोधित कराया जा सके।

संतानन्द-उपरिचारागृहकार।

(निश्चित उ० मुन्डे)

जिलाधिकारी

चन्दौली।

प्रमाणित / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड चारापत्ती।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली।
3. मुख्य विकास अधिकारी चन्दौली।

जिलाधिकारी
चन्दौली।



उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिराप्ती अभियन्ता, निर्माण जण्ड-प्रधान, भगवानपुर, वाराणसी-221005

पत्रांक 240 / कार्या. 06 / 20 दिनांक 01/02/24

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मन्दाली।

विषय:- घुरहा नाला के उत्सवाह शोधन के आगमन के संबंध में।

संदर्भ,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3755/7-पं0रा0/जि.0गं0सं0/ 2023-24 दिनांक 01 फरवरी 2024 के अन्तर्गत घुरहा नाला के उत्सवाह शोधन (पायोरिनिडेशन पद्धती) का आगमन अनुमानित तारीख 02/03/24 तक संतान कर आपके अग्रतार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संतानक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

09.02.2024
अधिराप्ती अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), वाराणसी।
2. श्री वीरसेन कुमार, सहायक अभियन्ता।
3. संगणक।

J.P.P.C.
जल निगम, आन. 240
दिनांक 01/02/24

अधिराप्ती अभियन्ता

09-02-2024

रिपोर्ट

यह कार्यक्रम जिलाधिकारी, घन्दौली के पत्र संख्या 3755/7-पं०रा०/जि०गं०रा०/2023-24 दिनांक 01 फरवरी 2024 के क्रम में गठित किया गया है। घुरहा नाला एक कच्चा नाला है तथा आंशिक क्षेत्र राम नगर घन्दौली में स्थित मेसर्स एल० ए० आयरन प्रा० लि० से होते हुए गंगा नदी में मेसर्स इंडियन घाटर वेज अथॉरिटी आण्ड इण्डिया मस्ट्री नाडल टर्मिनल रजिस्ट्रार कार्यालय में गंगा नदी में प्रवाहित होता है। उक्त नाले लगभग 6 कि०मी० लम्बाई में प्रवाहित होता है। घुरहा नाला में आंशिक क्षेत्र पंज०=1 में स्थित उद्योगों से जनित उत्स्राव/बहिष्काव के साथ-साथ जनपद घन्दौली के ग्राम पटनवा एवं हमीदपुर आदि से जनित घरेलू उत्स्राव भी प्रवाहित होता है। घुरहा नाले के अपस्ट्रीम में पानी की गुणवत्ता ठीक है। नाले के डाउन स्ट्रीम में पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष में डाउन स्ट्रीम में बायोरिनिडेशन पद्धति से उत्स्राव के शोधन हेतु तीन वर्षों हेतु अनुमानित कार्य लागत रु० 235.60 लाख, लेंथर सेस रु० 2.36 लाख, जीएसटी रु० 42.41 लाख, सेन्टेज रु० 23.56 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल लागत रु० 303.94 लाख तैयार किया गया है।


(एस० के० रंजन)
अधिसाक्षी अभियन्ता

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION -I, U.P. JAL NIGAM
(URBAN), VARANASI.

Treatment of Sewage flow of Ghurahu drain by Bioremediation Method In District Chandauli

FORM-J				
S.N	Particulars	Work Cost	%age	Rs. In Lakhs Amount Lac)
1	2	3	4	5
1	Basic Cost of Work	243.15		243.15
2	Contingencies @ 2%	243.15	2%	4.86
A Total Cost of Works(1+2)				248.01
B	Deduction for Proficiency	248.01	-5%	-12.40
C Sub Total (A-B)				235.61
	Labour cess @ 1% on C	235.61	1%	2.36
D	GST @ 18% on C	235.61	18%	42.41
	Supervision Charges @ 10% on C	235.61	10%	23.56
G.Total (C+D)				303.94

Checked by


J.E.T/Computer
Construction Division-I
U.P Jal Nigam(Urban), Varanasi

Prepared By


(Er. Birson Kumar)
Assistant Engineer
Construction Division-I
U.P Jal Nigam(Urban), Varanasi


(Er. S.K. Ranjan)
Executive Engineer
Construction Division - 1,
U.P Jal Nigam(Urban), Varanasi

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION (FIRST) UTTAR
PRADESH JAL NIGAM (URBAIN) PRAYAGRAJ

GENERAL SUMMARY OF ABSTRACT OF COST

S.N.	Description	Qty.	Unit	Article List	
				Rate	Amount
1	Cheek treatment of Glara's Drain by Bio remediation method	3	Year	81.05	243.15

Biswas

ASSISTANT ENGINEER

OFFICE

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION - L.P.P. JAL NIGAM
(PUDANNAVARASALI)**

Treatment of Sewage flow of Ghuraha drain by Bioremediation Method in District Chandrull

ESTIMATE FOR SUPPLY AND INSTALLATION

S. No.	Description of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Supply and installation of V-notch (Mild Steel material with two coat epoxy coating and two coat paint) on drain at starting point of local line after supply of material, labour, T&P etc complete	1.00	Nos	78014.00	78014.00
2	Supply and installation of sand- fill bag to prevent the flow of drain including labour material safety equipments etc complete to construction of temporary dam type structure for taken detention of sewage and water for bioremediation	5,000.00	Nos	85.00	425,000.00
3	Construction and for construction of temporary settling pond for settlement of residue of sewage including ramming of earthen structure and laying of pipe for access valve including all labour etc complete	6,250.00	cum	240.87	1,515,337.50
4	Testing of following parameters in weekly before treatment and before treatment by authorized lab (1). B.O.D2, C.O.D3, TSS4, D.O5, Faecal coliforms, Total coliform	10.00	job	210,000.00	2,100,000.00
5	Treatment of sewage flow through ghuraha drain by Bioremediation method including Setting up of Bioremediation unit/ dosing station, construction of check barriers, Supply and installation of pipe & fittings, enzymes, relevant dosing material, mechanical equipments, and all other material, labour, T&P etc alongwith regular desludging of ponds and maintenance of bioremediation units during 3 Years in except rainy days and other works required for proper completion of work Bioremediation of sewage flow through Ghuraha drain by ponding (Size 400 m x 4 m x 2.5 m). Average Quantity of water to be treated in one pond per day = 12 MLD per Day, MLD X 275 Days = 3300 MLD	3,300.00	MLD	1500.00	4,950,000.00
6	Provision of maintenance staff for regular maintenance, banner, poster, sign board with all t&p safety equipment torch light gum shoe etc complete.	275.00	days	1560.00	429000.00
				Total	8104951.50
				Say Rs in lacs	81.05

Bisw
Assistant Engineer

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION -I, U.P. JAL
NIGAM (URBAN), VARANASI.

Treatment of Sewage flow of Ghurha drain by Bioremediation Method In District Chandaul

DETAIL MEASUREMENT							
No.	DESCRIPTION OF WORK	No.	L	B	H/D	QTY	UNIT
1	Supply and installation of V-notch (Mild Steel material with two coat epoxy coating and two coat paint) on drain at staying point of Pond including supply of all material, labour, T&P etc complete.	1	.	.	.	1	Nos
2	Supply and installation of sandy soil bag to prevent the flow of drain including labour material safety equipment etc complete to construction of temporary structure for taken detention of sewage and treatment with bioremediation.	5000	.	.	.	5000	Nos
3	Excavation of soil for constructing of temporary settling pond for settlement of residue of sewage including ramming of earthen structure laying of pipe for safety valve including all labour T&P etc complete	2	500	2.5	2.5	6250.00	cum
4	Testing of following parameters in weekly before treatment and beafter treatment by authorised lab. 1. B.O.D 2. C.O.D 3. TSS 4. D.O 5. Faecal coliform 6. Total coliform	80				80	job
5	Treatment of sewage flow through ghurha drain by Bioremediation method including Setting up of Bioremediation unit dosing station, construction of check barriers, Supply and installation of pipe & fittings, enzymes, relevant dosing material, mechanical equipments, and all other material, labour, T&P etc alongwith regular desludging of ponds and maintenance of bioremediation units during 3 Years (except rainy days and other works required for proper completion of work: Bioremediation of sewage flow through Ghurha drain by ponding (Size 400 m x 5 m x 2.5 m). Average Quantity of water to be treated in one pond per day - 12 MLD per Day. $MLD \times 275 \text{ Days} = 3300 \text{ MLD}$	1	12.00	275		3300	MLD
6	Provision of maintenance staff for regular maintenance, banner, poster, sign board with all safety equipment torch light gum shoe etc complete.	275				275	days

Jawar Engineer

Assistant Engineer

Analysis for Supply and fixing of V Notch at Drain

Description	No	L	D	H	Quantity	Unit	Rate	Amount
Supply of M.S. Plate 6mm thick of Size 4x3 mt	1	4	3	0	12	sqm		
Projection area for Opening of V Notch 1/2x2x3 =	0.5	2	3		3	sqm		
				total	9	sqm		
Volume of V Notch = 4x3x 3 = 36.000 = 0.072 cum	9	0.005			0.072	cum		
Weight of V Notch = 0.072 x 7850 = 565 kg x Rs 100 kg = 56250.00	0.072	7850			565.2	KG	110	62172
Cutting of groove Charge = 500.00	1				1	JOB	500	500
Each side epoxy Paint on ms Plate = 250.00	1				1	JOB	250	250
Hiring charges of Hydra with fuel to load and unload to V notch	1				1	JOB	8000	8000
						TOTAL		70922
Contractor Profit @ 10%								7092.2
						G.TOTAL		78014.2
						SAY		78014.00

Computer
Computer

JE
JE

AE
A.E

EE
EE

Cost of filling of ready soil in empty cement bag and arrange wall type structure in
 taken 100 bag in consideration.

Sl. No.	Description	Unit	Qty	Rate	Amount	Rate	Amount
1	Supply cement bags with test (no. bags allowed)	no.			100	5	500
2	Filling of ready soil in each bag	cum	100	0.70	0.07	0.3	34.50
3	No. of labour required for filling of bag	no	1			20	200
4	No. of labour required for transporting the filled bags to site	no	2			20	400
5	Some other items such as soil, string etc	job	1			200	200
						Total	774.50
+ for structure profit @ 10%							77.45
						G.Total	851.95

each bag rate = £4.8409
 say £5/bag

Computer
 Computer

JE
 JE

AE
 AE

EE
 EE

0040-2

जिलाधिकारी
चण्डीली
विभाग
महानगर राज विभाग
राजपुरा।

दिनांक: 07-02-2024 / दिनांक: 01-02-24

दिनांक: फरवरी, 2024

विषय :- नाले सफाई हेतु अधिवृत्त पर दिल्ली में शोधित उत्सवगत प्रदूषण पर 2023-24 / 2024 (संज्ञक) इससे मुक्त राज्य सड़क और सड़क) में शक्ति आदेश दिनांक 06.02.2024 के अधिनियम के अन्तर्गत में

नाले पर,

उपरोक्त नाले सफाई में उत्सवगत प्रदूषण के लिए महानगर-चण्डीली में एक नाले शोधित नाले सफाई के लिए नाले सफाई नाला धान पंचायत घटनवा विकास खण्ड नियामतावाद के अन्तर्गत स्थित है, जो वहाँ से निकलकर हनुवपुर गाँव होते हुए टेंगरा मोड़ से दक्षिण-पश्चिम में वाराणसी जनपद में गंगा नदी में गिरता है। नाले में दूषित जल का प्रवाह इतना अधिक है कि इसको रोक पाना अथवा फिल्टरेशन का कार्य कराया जाना ग्राम पंचायत से सम्भव नहीं है। इस नाले से बहने वाले दूषित जल को शोधित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम उ०प्र० जल निगम (नगरीय) भगवानपुर जनपद-वाराणसी से अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र संख्या-3755 दिनांक 01.02.2024 द्वारा प्राक्कलन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम उ०प्र० जल निगम (नगरीय), भगवानपुर वाराणसी के कार्यालय पत्र संख्या-240 दिनांक 09.02.2024 द्वारा उपरोक्त नाला (धुरहा नाला) के उत्सवगत शोधन के सम्वन्ध में आगमन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अनुमानित लागत ₹० 303.94 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। इतनी अधिक धनराशि ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिससे कि उक्त नाले से बहने वाले गन्दे जल के शोधन का कार्य कराया जा सके।

अतः अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम उ०प्र० जल निगम (नगरीय), भगवानपुर वाराणसी द्वारा प्रस्तुत आगमन की छायाप्रति प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त नाले पर उत्सवगत शोधन हेतु संयंत्र स्थापित कराने हेतु आगमन में उल्लिखित धनराशि ₹० 303.94 लाख उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भददीय

(निजिल पी० कुण्डे)
जिलाधिकारी
चण्डीली।

प्रतिक्रिया / दिनांकित।

- प्रतिक्रिया :-
1. प्रनागीय वनाधिकारी वन्य जीव प्रभाग रासनगर-वाराणसी को सूचनाार्थ।
 2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम उ०प्र० जल निगम (नगरीय) भगवानपुर, वाराणसी।
 3. मुख्य विकास अधिकारी चण्डीली।
 4. अर्थात् अधिशासी उ०प्र० प्रदूषण निर्माण कार्य वाराणसी।
 5. अर्थात् मुख्य सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० सारान राजपुरा।

जिलाधिकारी
चण्डीली

सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण उत्तरदायी स्थानीय निकाय नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08849/सी-6/ सा0-10/न0पंचायत/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में आख्या।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08849/सी-6/सा0-10/न0पंचायत/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे सीवेज के सम्बंध में नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा उक्त स्थानीय निकाय को 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के क्षेत्र से सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री विकाश पटेल, सुपरवाइजर, रामनगर जोन नगर निगम, वाराणसी एवं श्री संतोष कुमार, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) निर्माण खण्ड प्रथम, भगवानपुर, वाराणसी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	नालों का नाम	टैप/ अनटैप	शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण	उत्तरदायी संस्था
1	सायर माता मंदिर ड्रेन, नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी	अनटैप	वर्तमान में अनट्रीटेड सीवेज सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।	नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी
2	घटवारी माता मंदिर ड्रेन, नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी।	अनटैप	वर्तमान में अनट्रीटेड सीवेज सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या संलग्न है। संलग्न विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।	नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी

निरीक्षण के समय गंगा नदी में गिरने वाले सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन से लिए गये फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण के समय सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Sayar Mata Mandir Drain, Nagar Panchayat, Sujabad, Varanasi	17.05.2024	7.14	114	470	294	25,00,000	13,00,000
2	Ghatwari Mata Mandir drain, Nagar Panchayat, Sujabad, Varanasi	17.05.2024	7.21	120	478	278	34,00,000	22,00,000

उपरोक्त बहिष्काव के नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन से निस्तारित हो रहे बहिष्काव की गुणता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक है।

अवगत कराना है कि उत्तरदायी स्थानीय निकाय नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच. 08849/सी-6/ सा0-10/न0पंचायत/वाराणसी/2024, दिनांक 01.04.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में कोई उत्तर इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के बिन्दु सं0-08 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"..... 8. Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

47. We now sum up our directions as follows:

- 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date,

क्रमशः 2/-पर

commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

- ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP."

वर्तमान में उपरोक्त समय सीमा के प्ररिप्रेक्ष्य में ओ०ए० सं० 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन/माह रू० 5.0 लाख (रू० पाँच लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उक्त स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 01.07.2020 से देय है।


अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा अधिसूचना संख्या 2528/9-1-2020-53टी.ए./16 लखनऊ, दिनांक 20.12.2020 के अनुसार ग्राम-सूजाबाद एवं डोमरी को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत, सूजाबाद नये नगर पंचायत के रूप में गठन किया गया था।


पुनः उ०प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा अधिसूचना संख्या 3474/9-1-2022-55 परि०/22 लखनऊ, दिनांक 10.11.2022 के अनुसार पूर्व में गठित सूजाबाद नगर पंचायत को नगर निगम, वाराणसी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है (दिनांक 20.12.2020 एवं 10.11.2022 को जारी अधिसूचना की छायाप्रतियां संलग्न हैं)। उक्त दोनों जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तरदायी संस्था के रूप में नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 20.12.2020 से दिनांक 09.11.2022 तक की अवधि हेतु अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन गंगा नदी में मिलती है। निरीक्षण की तिथि तक नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित उक्त नालों से गंगा नदी में निर्धारित मानको से अधिक निस्तारित हो रहे सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उक्त स्थानीय निकाय नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित सायर माता मंदिर ड्रेन एवं घटवारी माता मंदिर ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे घरेलू बहिर्भाव की गुणता निर्धारित मानको से अधिक पाये जाने तथा सीवेज के शुद्धीकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुसार प्रति ड्रेन /माह रू० 5.0 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 20.12.2020 से दिनांक 09.11.2022 तक की अवधि हेतु अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 01.04.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पूर्ति किये जाने की संस्तुति की जाती है।


(रणजीत कुमार)
अनुश्रवण सहायक


(आर०एन० चौधरी)
वैज्ञानिक सहायक


(सी०पी० वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


29/5/24



179

**REGIONAL LABORATORY VARANASI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Avas Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26454783/Varanasi/2024

Date:28/05/2024

- 1- Name of Industry: GHATWARI MATA MANDIR DRAIN NP SUJABAD VARANASI,
- 2- Address of Industry: SUJABAD
- 3- District: Varanasi
- 4- Description about sampling point: GHATWARI MATA MANDIR DRAIN
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & Ranjeet Kumar MA, SK PANDEY LA
- 7- Colour and Odour: BLACKISH UNPLEASANT
- 8- Quantity and Packing: 2 LITRE PLASTIC JERICANE & 01 LITRE GLASS BOTTLE
- 9- Date of Sample Collection: 17/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 17/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.21	5.5-9.0	02-12
*Oil Grease	mg/l	14	10	-
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	278	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	868	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	1146	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	3400000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	2200000	<1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	120	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	478	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Mohini Singh(JRF), Sangeeta
Murty(JRF), Shivani Pandey(JRF)]

Authorized by
CHANDRA
PRAKASH VERMA
Chandra Prakash Verma (SA)

Digitally signed by CHANDRA
PRAKASH VERMA
Date: 2024.05.28 13:40:20 +05'30'

SURESH
CHANDRA
SHUKLA
Regional Officer

Digitally signed by
SURESH CHANDRA
SHUKLA
Date: 2024.05.28
13:48:25 +05'30'



**REGIONAL LABORATORY VARANASI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Avas Vikas Office cum-commercial Complex Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi



TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 26454786/Varanasi/2024

Date:28/05/2024

- 1- Name of Industry: SATTI MATA MANDIR GHAT DRAIN(SAYAR MATA MANDIR) SUJABAD VARANASI, SUJABAD
- 2- Address of Industry: SUJABAD
- 3- District: Varanasi
- 4- Description about sampling point: SATTI MATA MANDIR GHAT DRAIN(SAYAR MATA MANDIR)
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: Chandra Prakash Verma SA & Ranjeet Kumar MA, SK PANDEY LA
- 7- Colour and Odour: BLACKISH UNPLEASENT
- 8- Quantity and Packing: 2 LITRE PLASTIC JERICANE & 01 LITRE GLASS BOTTLE
- 9- Date of Sample Collection: 17/05/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Varanasi
- 11- Date of sample receipt in Lab: 17/05/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.14	5.5-9.0	02-12
*Oil Grease	mg/l	13	10	-
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	294	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	822	-	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	1116	-	10- 50000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	2500000	-	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, 9221 E Fecal Coliform Procedure	MPN/100 ml	1300000	<1000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	114	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	470	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Mohini Singh(JRF), Sangeeta
Murty(JRF), Shivani Pandey(JRF)]

Authorized by
CHANDRA
PRAKASH VERMA
Chandra Prakash Verma (SA)

SURESH Digitally signed by
CHANDRA SURESH CHANDRA
SHUKLA SHUKLA
Date: 2024.05.28
13:48:07 +05'30'
Regional Officer



Satti Mata Mandir Ghat drain (Sayar Mata Mandir) Sujabad, Varanasi



Ghatwari Mata Mandir drain, Sujabad, Varanasi

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2528/9-1-2020-53टी.ए./16
लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत, सूजाबाद, जिला वाराणसी का गठन करने हेतु संकमणशील क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या=2470/9-1-2019-53टी.ए./16, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को जारी की गयी थी और तददिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि कोई आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संकमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संकमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत सूजाबाद, जिला-वाराणसी के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

प्रस्तावित नगर पंचायत, सूजाबाद, जिला वाराणसी में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र:-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	गाटा संख्याओं का विवरण
1	सूजाबाद	01 से 1017
2	डोमरी	01 से 1028


(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2528(1)/9-1-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के अतिरिक्त एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-2528(2)/9-1-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना के एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
- (2) जिलाधिकारी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ।
- (8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no- 2528/9-1-2020-53TA/16 dated December 20, 2020.

NOTIFICATION

No-2528 /9-1-2020-53TA/16

Lucknow- Dated December 20, 2020

WHEREAS Government notification no-2470/IX-1-2019-53T.A.-16 dated November 28, 2019 was issued and published in the Gazette dated November 28, 2019 with a view to inviting objections and suggestions for issuance of notification to declare the transitional area for the constitution of Nagar Panchayat, Sujabad, District Varanasi as required under sub section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no.II of 1916);

AND WHEREAS no objection or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limit of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Sujabad in District Varanasi.

SCHEDULE

Area being included in Proposed Nagar Panchayat, Sujabad in District Varanasi :-

S.No.	Name of Village	Gata No.
1	Sujabad	01 to 1017
2	Domari	01 to 1028


 (Deepak Kumar)
 Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-3474/9-1-2022-55परि0/22
लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा-32 ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या-2885/9-1-2022-55परि0/22, दिनांक 26 सितम्बर, 2022 द्वारा गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात नगर निगम वाराणसी, जिला वाराणसी के नगर निकाय क्षेत्र को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित 100 वार्डों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक वार्ड का विस्तार ऐसा होगा, जैसा उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 एवं स्तम्भ 04 में उसके समक्ष उल्लिखित है।

अनुसूची
नगर निगम वाराणसी, जिला वाराणसी

कक्ष सं.	कक्ष का नाम	कक्ष की सीमायें	कक्ष का विस्तार (कक्ष में सम्मिलित मोहल्लों के नाम)
1	2	3	4
1	लहरतारा	पू0 - जी0टी0 रोड नगर निगम सीमा प0 - लहरतारा पुल उ0 - शिवदासपुर द0 - बौलिया तिराहा से गेट नं0 04 पसियाना गली	सी0 32 चन्दुआ छित्तपुर पुरानी रेलवे कालोनी पार्ट डी0 65 लहरतारा एस0 22 गुडशेड बाजार (माल गोदाम) लहरतारा राजस्व ग्राम
2	सिकरौल	पू0 - पक्की बाजार, डिठोरी महाल प0 - भीम नगर, चुप्पेपुर उ0 - नारायनपुर, सरसौली द0 - वरुणा नदी	एस0 2 सिकरौल व सिकरौल गाँव एस0 2 गिलट बाजार शि0 19 रायकृष्ण चन्द्र नगर (भीम नगर) शि0 18 लश्कर एस0 2/1 से एस0 2/164 तक सिकरौल का अंश भाग
3	फुलवरिया	पू0 - बेदौली प0 - कन्टोमेन्ट उ0 - गेट नं0 05 बौलिया तिराहा द0 - वरुणा नदी	फुलवरिया रा0ग्रा0 बेदौली रा0ग्रा0 बड़ागांव प्रथम रा0ग्रा0
4	शिवदासपुर	पू0 - भिटारी, लोहता प0 - मडुवाडीह उ0 - विद्यापीठ ब्लाक द0 - बौलिया	शिवदासपुर रा0ग्रा0 भिटारी रा0ग्रा0
5	सलारपुर	पू0 - सराय मोहाना प0 - रेलवे लाईन उ0 - रघुनाथपुर द0 - वरुणा नदी	रसूलगढ़ रा0ग्रा0 खालिसपुर रा0ग्रा0 सलारपुर रा0ग्रा0
6	मण्डुवाडीह	पू0 - बौलिया प0 - बनारस रेलवे स्टेशन मडुवाडीह, लहरतारा	महेशपुर रा0ग्रा0 मण्डुवाडीह रा0ग्रा0 चांदपुर आंशिक रा0ग्रा0

		उ० - एफ०सी०आई० द० - हुण्डई शोरूम	
7	छित्तपुर (लोको छित्तपुर)	प० - रेलवे लाईन प० - साजन सिनेमा उ० - जयप्रकाश नगर द० - सनधीम स्कूल लहरतारा	सी० 33 छित्तपुर सम्पूर्ण न्यू रेलवे लोको कालोनी छित्तपुरा सी० 33/281 से 308 तक।
8	दीनापुर	प० - कमौली प० - खालिसपुर उ० - चिरईगांव द० - गंगा नदी	दीनापुर रा०ग्रा० रघुनाथ पुर रा०ग्रा० कोटवां रा०ग्रा० सरायमोहाना रा०ग्रा०
9	शिवपुर	प० - लश्कर, सिकरौल, चुप्पेपुर प० - रेलवे लाईन उ० - वरुणा नदी द० - बाईपास मार्ग, भरलाई, शुद्धिपुर	एस० 29 शिवपुर उत्तरी एस० 30 शिवपुर दक्षिणी शि० 16 कादीपुर शि० 17 इन्द्रपुर
10	शिवपुरवा	प० - रेलवे लाईन प० - नगर निगम मुख्यालय उ० - मण्डुवाडीह द० - घण्टी मील सनधीम स्कूल	डी० 59 शिवपुरवा अंश भाग छोडकर (वार्ड सिगरा में सम्मिलित) डी० 64 माधोपुर सी०33/290 सिचाई कालोनी छित्तपुर का शेष सी० 33/1 से सी०33/20 चन्दुआ सदटी
11	हुकुलगंज	प० - खजूरी प० - बघवा नाला उ० - वरुणा नदी द० - बघवानाला मार्ग	एस० 10 हुकुलगंज एस० 8/401 से 420 तक सम्पूर्ण जेल क्वार्टर सहित खजूरी से जोडेंगे।
12	गोलाघाट (रामनगर)	प० - ग्राम पंचायत भिटि प० - गंगा नदी का किनारा पश्चिमी उ० - सामने घाट पुल मार्ग आजाद नेशनल स्कूल गुरुद्वारा गली व पंचवटी रोड द० - ग्राम पंचायत भीटी	24 ठठेरी बाजार पश्चिमी 17 ठठेरी बाजार मध्य पश्चिमी 06 ठठेरी बाजार दक्षिणी 22 सीहाबीर 04 नई बस्ती बघेले टोला 05 मछरहट्टा पूर्वी दक्षिणी 09 मछरहट्टा मध्य दक्षिणी 14 मछरहट्टा पश्चिमी मध्य 16 मछरहट्टा उत्तरी
13	रामपुर (रामनगर)	प० - ग्राम पंचायत भीटी व सुल्तानपुर प० - रामनगर चौक पडाव रोड उ० - डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल दुर्गा मन्दिर रोड द० - बंसी साव बाउण्डी	10 काठगोला 15 मछरहट्टा पूर्वी उत्तरी 12 रस्तापुर 08 रामपुर सगरा 11 रामपुर दक्षिणी 01 रामपुर बाजिदपुर 07 कुतुलपुर
14	गनेशपुर	प० - नवलपुर बडालालपुर प० - भेलखा मधुपुर उ० - शिवपुर नवलपुर द० - बहोरीपुर, जगापट्टी मुर्दहा	गनेशपुर रा०ग्रा० होलापुर रा०ग्रा० परमानन्दपुर रा०ग्रा० हटिया रा०ग्रा० तरना रा०ग्रा० वासदेवपुर रा०ग्रा० चुप्पेपुर रा०ग्रा०

			बकसड़ा रा0ग्रा0 छतरीपुर रा0ग्रा0 खरगपुर रा0ग्रा0
15	राजघाट	पू0 - बसन्ता कालेज प0 - जी0टी0 रोड़ उ0 - लॉट भैरव द0 - तेलियाना जी0टी0 रोड़	ए0 11 नया महादेव ए0 15 भदरें ए0 36 राजघाट लोअर, अपर काशी रेलवे स्टेशन ए0 36 कज्जाकपुरा ए0 37 किला कोहना ए0 38 कोनिया पार्ट कोनिया रेलवे पुल से धोबी घाट का पूर्वी भाग एवं सुमाष चन्द्र बोस स्कूल कोनिया, राम जानकी मंदिर, ए038 /23 से 38/6 तक का पश्चिमी भाग,
16	सरसौली	पू0 - अनौला पाण्डेयपुर प0 - कठवतीया, परमानन्दपुर, लक्ष्मणपुर उ0 - लालपुर मीरापुर बसही द0 - डिठोरी महाल, अर्दली बाजार	शि0 3 नवलपुर एस0 27 नवलपुर पूर्वी एस0 25 सरसौली एस0 26 मीरापुर बसही शि0 2 मीरापुर बसही
17	सन्दहा	पू0 - गाजीपुर प0 - आशापुर रेलवे लाईन उ0 - आशापुर द0 - फरीदपुर	सन्दहा रा0ग्रा0 रुस्तमपुर रा0ग्रा0 हिरामनपुर रा0ग्रा0
18	नई बस्ती	पू0 - हुकुलगंज मौजाहाल रोड़ प0 - अशोक विहार कालोनी उ0 - पाण्डेयपुर द0 - हुकुलगंज	एस0 9 नईबस्ती सा0 4 दौलतपुर दक्षिणी गाजीपुर रोड पर कालीजी मंदिर का उत्तरी भाग सा0 4 दौलतपुर उत्तरी सम्पूर्ण
19	कन्दवा	पू0 - कामेश्वर नगर, पहाड़ी गाँव, कन्दवा गाँव प0 - भिखारीपुर चितईपुर बाईपास मार्ग उ0 - अमरा अखरी द0 - डी0एल0डब्लू0 कैम्पस	कन्दवा रा0ग्रा0 कंचनपुर रा0ग्रा0 अवलेशपुर रा0ग्रा0
20	लोढ़ान	पू0 - बड़ा लालपुर मीरापुर बसही, ऐंड़े रजनहिया प0 - वॉसदेवपुर, घमहापुर उ0 - प्रयागपुर मुर्दहा द0 - परमानन्दपुर पार्ट नवलपुर	लोढ़ान रा0ग्रा0 हरिहरपुर रा0ग्रा0 सरसवां रा0ग्रा0 अहमदपुर रा0ग्रा0 कानूडीह रा0ग्रा0 दान्दपुर रा0ग्रा0
21	तरना	पू0 - लक्ष्मणपुर, नटिनियादाई, नवलपुर प0 - गणेशपुर पार्ट, छतरीपुर पार्ट उ0 - होलापुर, चुम्पेपुर, खुशहाल नगर द0 - चमौव शिवपुर	शि0 4 परमानन्दपुर शि0 7 भगतपुर शि0 9 शुद्धिपुर शि0 10 महेशपुर शि0 11 छतरीपुर शि0 12 हटिया शि0 13 तरना शि0 14 गनेशपुर

			शि० 15 भरलाई
22	नगवों	पू० - संकटमोचन मन्दिर प० - गंगा नदी उ० - सामनेघाट द० - अस्सी चौराहा अस्सी घाट रोड	एन० 1 नगवों बी० 30 नगवों बी० 1 अस्सी दक्षिणी
23	सीरगोवर्धनपुर	पू० - बी०एच०यू० प० - गंगा नदी उ० - बाईपास मार्ग विश्वसुन्दरी द० - ट्रामा सेन्टर सामनेघाट	डाफी आंशिक सिरगोवर्धनपुर रा०ग्रा०
24	रमदत्तपुर	पू० - रौना बेला रोड प० - गोईठहा उ० - हरवलम्मपुर द० - छोटा लालपुर	हरवल्लमपुर रा०ग्रा० सोयेपुर रा०ग्रा० हारिमपुर रा०ग्रा० हसनपुर रा०ग्रा० हृदयपुर रा०ग्रा० रजनहियां रा०ग्रा० गोईठहा रा०ग्रा० बनियापुर रा०ग्रा० रमदत्तपुर रा०ग्रा०
25	दुर्गाकुण्ड	पू० - राम मन्दिर से दिनदयाल व ताडबीर मन्दिर कबीर नगर प० - रविन्दपुरी मुख्य मार्ग उ० - कबीर नगर मुख्य मार्ग द० - चेतमणी से जलकल कार्यालय	बी० 26 नवाबगंज बी० 27 दुर्गाकुण्ड बी० 28 घसियारी टोला बी० 36 ब्रम्हानंद नगर, कबीर नगर, मानस नगर, कैवल्य धाम
26	नेवादा	पू० - चितईपुर, भिखारीपुर रोड प० - करौंदी सुन्दरपुर उ० - चितईपुर आदित्यनगर द० - भिखारीपुर से सुन्दरपुर	एन० 4 करौंदी एन० 6 चितईपुर एन० 7 भिखारीपुर (हाईडील) एन० 8 नेवादा (कुन्दन नगर)
27	जोल्हा दक्षिणी	पू० - तेलियाना चौराहा से बजरडीहा पुलिस चौकी आजाद नगर प० - किरहिया से शंकुलधारा उ० - तेलियाना चौराहा से चेरियन गर्ल्स हास्टल मुंशी प्रेमचन्द पार्क द० - जोल्हा उत्तरी	एन० 12 बजरडीहा पार्ट एन० 13 सरायसुर्जन पार्ट एन० 15 जोल्हा दक्षिणी
28	सरायनन्दन	पू० - जानकी नगर न्यूकालोनी प० - कबीर नगर से ब्रम्हानन्द नगर उ० - सुन्दरपुर मुख्य मार्ग का उत्तरी भाग द० - किरहिया से तेलियाना चौराहा	एन० 9 पटिया एन० 13 सरायसुर्जन पार्ट (बृजइंक्लेव कालोनी) एन० 14 सरायनन्दन बी० 34 सरायनन्दन खुर्द बी० 35 सरायनन्दन कला
29	तुलसीपुर	पू० - बिरदोपुर प० - मण्डुवाडीह स्टेशन उ० - जक्खा रोड द० - आकाशवाणी केन्द्र	बी० 38 तुलसीपुर (बड़ा) सम्पूर्ण डी० 63 तुलसीपुरा (छोटा) तुलसीपुर रा०ग्रा०
30	पाण्डेयपुर	पू० - गाजीपुर मार्ग प० - मानसिक चिकित्सालय उ० - लालपुर द० - हुकुलगंज नई बस्ती	सा० 2 पाण्डेयपुर गाँव मानसिक चिकित्सालय सहित एस० 24 टकटकपुर आवास विकास कालोनी सम्पूर्ण

31	नरायनपुर	पू० - सरसौली मीरापुर बसही प० - शिवपुर कोट, भगतपुर परमानन्दपुर उ० - पंचकोशी रोड व सेन्ट्रल जेल रोड द० - नवलपुर नटिनियादाई मार्ग	एस० 1 चुप्पेपुर शि० 1 नरायनपुर शि० 5 लक्ष्मनपुर शि० 6 कठवतिया शि० 8 अयोध्यापुरी, सुषमानगर, उचवाँ लाज
32	लेदूपुर	पू० - बलूआघाट मार्ग प० - चन्द्रा रेलवे लाईन उ० - सलारपुर पंचकोशी मार्ग द० - हिरामनपुर	लेदूपुर रा०ग्रा० तिलमापुर रा०ग्रा० आशापुर रा०ग्रा०
33	करौंदी	पू० - चितईपुर घुनार रोड प० - बी०एच०यू० बाउण्डी उ० - नासिरपुर गौतम नगर कालोनी द० - पंचकोशी मार्ग	करौंदी रा०ग्रा० चितईपुर रा०ग्रा० पोंगलपुर रा०ग्रा० नासिरपुर रा०ग्रा०
34	नदेसर	पू० - इंग्लिशिया लाईन चौराहा प० - चौकाघाट उ० - मलदहिया चौराहा द० - अन्धरापुर रेलवे लाईन	एस० 16 लच्छीपुरा एस० 17 नदेसर पार्ट (रेलवे लाईन का उत्तरी व दक्षिणी भाग परेडकोठी सहित) एस० 21 इंग्लिशिया लाईन, परेडकोठी कैण्ट सी० 29 रघुबीर सी० 30 मलदहिया
35	राजाबजार	पू० - मिन्ट हाउस प० - चौकाघाट उ० - वरुणा नदी द० - अन्धरापुर	एस० 18 राजा बाजार एस० 19 बजार जदीद एस० 20 अराजी लाईन
36	चौकाघाट	पू० - नक्खीघाट रोड प० - अन्धरापुर उ० - वरुणा नदी द० - चौकाघाट जी०टी० रोड	एस० 11 चौकाघाट (मलहियाटोला) एस० 15 घौसाबाद एस० 23 डेलवरिया
37	दनियालपुर	पू० - रेलवे लाईन पश्चिमी भाग प० - पाण्डेयपुर उ० - पंचकोशी मार्ग द० - वरुणा नदी	सा० 19 दनियालपुर सा० 22 पुलकोहना सा० 21 आशापुर
38	ककरमत्ता	पू० - पहाड़ी नगर निगम सीमा प० - भिखारीपुर ककरमत्ता उ० - बी०एल०डब्लू० उत्तरी बाउण्डी, कन्दवा गेट द० - बनारस रेलवे स्टेशन बी०एल०डब्लू० बाउण्डी नाथुपुर रेलवे गेट	ककरमत्ता रा०ग्रा० भिखारीपुर खुर्द रा०ग्रा० भिखारीपुर कला रा०ग्रा० पहाड़ी रा०ग्रा० गनेशपुर रा०ग्रा० जलाली पट्टी रा०ग्रा० बी०एल०डब्लू० परिसर
39	सुसुवाही	पू० - चितईपुर घुनार रोड प० - बी०एच०यू० उ० - विश्वसुन्दरी रोड बाईपास द० - नासिरपुर	सुसुवाही रा०ग्रा० नुआंव रा०ग्रा०
40	चेतगंज	पू० - चन्दन शाहिद से वन्दना होटल होते हुए शिवनाथ हलवाई चेतगंज शितला मन्दिर	सी० 4 सरायगोबर्द्धन सी० 7 सेनपुरा (पूर्वी)

		होते हुए बेनिया तिराहा का पश्चिमी भाग प० - लहुराबीर से संदीप होटल होते हुए पानदरीया काली महल तिराहा का पूर्वी भाग उ० - काली महल तिराहा से गढवागठ बेनिया तिराहा का उत्तरी भाग द० - प्रदीप होटल रामकटोरा, पिरानहरिया का दक्षिणी भाग	सी० 8 चेतगंज सी० 24 चन्दन शहीद सी० 25 पुरानी टकराल सी० 26 बाग कन्हैया लाल
41	अकथा	पू० - पुराना पुल आशापुर का पश्चिमी भाग प० - रौना बेला रोड़, धाधो नाला उ० - बेनिपुर परशुरामपुर द० - पंचकोशी मार्ग धाधो नाला पुराना पुल	सा० 6 अकथा सा० 7 बेनीपुर सा० 16 चकबीही सा० 20 पैगम्बरपुर
42	मडौली	पू० - लोहता से रोहनिया जाने वाला मार्ग प० - मण्डुवाडीह चौराहा से लहरतारा चौराहा उ० - बी०एल०डब्लू० गेट नाथपुर रेलवे क्रासिंग द० - मण्डुवाडीह चॉदपुर	मडौली रा०ग्रा० नाथपुर रा०ग्रा० चुरामनपुर रा०ग्रा०
43	पिशाचमोचन	पू० - लल्लापुरा खुर्द वार्ड का पूर्वी भाग प० - लहुराबीर से संदीप होटल दलहट्टा तक उ० - गर्ल्स मुस्लिम स्कूल से पितरकुण्डा जियापुरा द० - मलदहिया लहुराबीर	सी० 7 सेनपुरा (पश्चिमी) सी० 9 हबीबपुरा सी० 21 पिशाचमोचन
44	सारनाथ	पू० - गाजीपुर मार्ग प० - रिग रोड़ का पश्चिमी भाग उ० - सारनाथ का उत्तरी भाग द० - सोयेपुर	सा० 8 परशुरामपुर सा० 9 धुरहुपुर सा० 10 गंज सा० 11 नवापुरा सा० 12 सिंहपुर सा० 13 खजुही सा० 14 बरईपुर सा० 15 मवैया सिंहपुर रा०ग्रा० मुगदलपुर रा०ग्रा० खजुही रा०ग्रा० फरीदपुर रा०ग्रा०
45	जोल्हा उत्तरी	पू० - बडी गैबी सोनवसरा कब्रिस्तान प० - कालीजी मन्दिर किरहिया रोड़ उ० - जियधीपुर, मुर्गीयाटोला द० - सुदामापुर बडीगैबी	एन० 15 जोल्हा उत्तरी एन० 15/1 से 15/55 तक भाग संख्या 741
46	पहड़िया	पू० - दौतलपुर पुलिया प० - चकबीही टडिया उ० - लक्ष्मी देवी मन्दिर द० - पहड़िया चौराहा	सा० 17 पहड़िया सा० 18 हाल
47	विरदोपुर	पू० - बडी गैबी से डा० उषा गुप्ता मार्ग प० - कमच्छा तिराहा जलकल कार्यालय उ० - बडी गैबी से सुदामापुर	बी० 21 कमच्छा सम्पूर्ण बी० 37 विरदोपुर एन० 16 विनायका

		द0 - रथयात्रा महमूरगंज	
48	सुजाबाद	पू0 - मुगलसराय रामनगर रोड़ प0 - गंगा नदी उ0 - गंगा नदी द0 - कटेसर चन्दौली का दक्षिणी भाग	सुजाबाद न0पं0 डोमरी
49	पिसौर	पू0 - कादीपुर पार्ट रेलवे लाईन मिलेट्री जंगल प0 - वरुणा नदी चमोंव उ0 - भरलाई शिवपुर द0 - वरुणा नदी	पिसौर रा0ग्रा0 भवानीपुर रा0ग्रा0 दनियालपुर रा0ग्रा0
50	सुन्दरपुर	पू0 - प्रज्ञा नगर से अस्सी नाला प0 - नरिया से करौदी मार्ग उ0 - आदित्य नगर पोखरा महिला पालिटेक्निक द0 - सुन्दरपुर नरिया मार्ग	एन0 2 सुन्दरपुर एन0 3 करमाजीतपुर एन0 5 आदित्य नगर बी0एच0यू0 वार्ड नं0 5 बी0एच0यू0 वार्ड नं0 6 बी0एच0यू0 वार्ड नं0 9 बी0एच0यू0 वार्ड नं0 10 बी0एच0यू0 वार्ड नं0 11
51	भेलूपुर	पू0 - भेलूपुर चौराहा से चेतमणि मार्ग प0 - साई बाबा मन्दिर कालीजी मन्दिर किरहिया चुर्गी उ0 - गुरुधाम से राम मन्दिर द0 - तिलभाण्डेश्वर पार्क के सामने गली से बंगाली टोला	बी0 17 तिलभाण्डेश्वर बी0 19 डेवरियाबीर बी0 20 भेलूपुर बी-22 खोजवों बी-23 नई बाजार बी0 24 कश्मीरीगंज बी0 25 हनुमानपुरा
52	लोहता	पू0 - भट्टी गोंव प0 - चोंदपुर चौराहा रोड़ उ0 - हरपालपुर गोंव द0 - भरथरा गोंव	लोहता रा0ग्रा0
53	सिगरा	पू0 - सिगरा कैण्ट मार्ग प0 - सिगरा चौराहा का पश्चिमी भाग उ0 - रथयात्रा चौराहा द0 - सोनिया औरंगाबाद रोड़	डी0 54 जददूमंडी डी0 57 कन्न आशिक माशूक डी0 58 सिगरा डी0 60 केशवपुरा डी0 61 सिद्धगिरीबाग डी0 59 शिवपुरवा का आंशिक भाग, डी0 59/1 से डी0 59/98 तक भाग संख्या-288 व 285 तथा नगर निगम, शहीद पार्क चन्द्रिका नगर व नगर निगम के पीछे माधोपुर अंश शिवपुरवा वार्ड से
54	नरियों	पू0 - सुन्दरपुर से बटूआपुरा मार्ग प0 - लंका मालवीय चौराहा से अस्सी नाला पुलिया तक उ0 - लंका नरिया सुन्दरपुर रोड़ द0 - अस्सी नाला	बी0 29 संकटमोघन बी0 31 लंका भोगाबीर बी0 32 नरियों बी0 33 सुन्दरपुर
55	प्रहलादघाट	पू0 - राजघाट प0 - बीबी हटिया राज मन्दिर	ए0- 1 पाटन दरवाजा ए0- 2 कामेश्वर महादेव

		उ० - गंगा जी द० - विशेषरगंज राजघाट मार्ग	ए०- 3 बाजार त्रिलोचन ए०- 4 सीढ़ी नन्दू फरिया ए०- 5 मुकीमगंज ए०- 6 सदर महाल ए० 7 फाटक काजीत की अली खों ए०- 8 तेलियाना ए० 9 कायरथ टोला ए० 10 प्रहलाद घाट ए० 21 नघनीकुंआ ए० 22 जुगुलटोला के०- 1 गायघाट (मछोदरी) के०- 2 कूँचा हिम्मत बहादुर के०- 3 गायघाट के०- 4 बुचई टोला के०- 5 हाजी दरस के०- 6 कूँचालाल खण्ड के०- 43 बंगाली बाड़ा
56	लालपुर मीरापुर बसहीं	पू० - पाण्डेयपुर, सोयेपुर, बहलोलपुर प० - परमानन्दपुर, दान्दुपुर उ० - एम०बी०ए०एच० इण्टर कालेज, काकलपुर, दसनपुर, उदयपुर द० - अनौला, नवलपुर, टकटकपुर	लालपुर मीरापुर बसहीं रा०ग्रा० ऐडे रा०ग्रा० बनवारीपुर रा०ग्रा० लमहीं रा०ग्रा० रसूलपुर मझमटिया मढवा
57	छित्तपुर खास	पू० - बी०एच०यू०, डाफी प० - गंगा नदी उ० - जी०टी० रोड द० - मुरारी चौक बी०एच०यू०	छित्तपुर खास रा०ग्रा०
58	खजुरी	पू० - जिला कारागार चौकाघाट पाण्डेयपुर रोड भक्ति नगर रोड प० - पुलिस लाईन डाक्टर कालोनी रोड उ० - छोटा लालपुर द० - वरुणा नदी	एस० 8 खजुरी सा० 1 पाण्डेयपुर खजुरी गाँव
59	रमरेपुर	पू० - श्रीनगर कालोनी, अकथा प० - अनौला पार्ट बडा लालपुर उ० - अकथा, ओम नगर कालोनी द० - पहडिया चौराहा, पाण्डेयपुर	सा० 3 लालपुर, लालपुर खण्ड सा० 5 रमरेपुर एस० 28 अनौला, अनौला खण्ड लालपुर अनौला रा०ग्रा०
60	अलईपुर	पू० - दोषीपुरा गली प० - अलईपुर रेलवे स्टेशन उ० - जी०टी० रोड के उत्तर द० - वरुणा नदी का दक्षिण भाग	जे० 15 दोषीपुरा जे० 16 नवापुरा जे० 17 अलईपुर दक्षिणी जे० 35 अलईपुर उत्तरी
61	जगतगंज	पू० - चौकाघाट तेलियाबाग रोड प० - लहुराबीर प्रदीप होटल तालाब का पश्चिमी भाग उ० - लहुराबीर द० - संस्कृत विश्वविद्यालय	एस० 12 पियरिया पोखरी एस० 13 तेलिया बाग एस० 14 रनिया महाल सी० 27 जगतगंज सी० 28 तेलियाबाग
62	डिठोरी	पू० - खजुरी वरुणा नदी	एस० 3 डिठोरी महाल

	महाल	प० - कचहरी सिकरौल उ० - पंचकोशी मार्ग द० - वरुणा नदी	एस० 4 ताजपुर एस० 5 पहाड़पुर एस० 6 मियाना महाल एस० 7 चमरौटिया महाल एस० 2 का पार्ट भुवनेश्वर नगर टैगोर टाउन
63	जलालीपुरा	प० - कोनिया रेलवे लाईन प० - सिटी स्टेशन उ० - वरुणा नदी द० - जी०टी० रोड	ए० 35 जलालीपुरा ए० 40 अमरपुर गाँव ए० 39/1 से ए० 39/159 तक सरैया का पार्ट
64	लल्लापुरा खुर्द	प० - रेलवे कालोनी का पूर्वी प० - पिशाचमोचन रोड दैत्राबीर होते हुए रहीमशाह बाबा मजार तक का पश्चिमी भाग उ० - चकरा तालाब द० - पिशाचमोचन कुण्ड का दक्षिणी भाग	सी० 19 लल्लापुरा खुर्द सी० 31 इंगलिशिया लाईन खटिकाना सी० 32 चन्दुआ हबीबपुरा पुरानी रेलवे कालोनी का पार्ट सी० 20 नयापुरा
65	पुराना रामनगर	प० - रामबाग पोखरा शहीद उद्यान पी०ए०सी० पडाव रोड प० - गंगा नदी व किला रामनगर उ० - ग्राम पंचायत कटेसर द० - गुरुद्वारा आजाद नेशनल स्कूल की गली	21 वारी गढही पश्चिमी 25 मलहिया 19 पुराना रामनगर 23 वारी गणही पूर्वी 18 तपोवन उत्तरी 13 तपोवन दक्षिणी 02 वाजिदपुर दक्षिणी 03 वाजिदपुर उत्तरी 20 ठठेरी बाजार पूर्वी
66	मध्यमेश्वर	प० - भैरवनाथ चौराहा से महामृत्युंजय मन्दिर प० - नाटी इमली तिराहा पिपलानी कटरा मार्ग उ० - महामृत्युंजय मन्दिर से दारानगर रोड द० - मैदागिन से कबीरचौरा मार्ग	के०- 53 मध्यमेश्वर के०- 58 बड़ागणेश के०- 61 बुलानाला के० 66 नरहरपुरा
67	हनुमान फाटक	प० - हनुमान फाटक चौराहा प० - अशराबाद रोड उ० - नरकटिया गढही द० - बकरा भण्डार रोड	ए० 28 चन्दुआ ए० 30 हनुमान फाटक ए० 31 नवापुरा ए० 34 तेलियाना
68	कोनिया	प० - सरैया प० - बसन्त कालेज सारनाथ रेलवे लाईन उ० - घोबीघाट से विजयीपुरा होते हुए वरुणा नदी तक द० - वरुणा नदी सरैया	ए० 38 कोनिया गांव पार्ट (अंश भाग को छोड़कर)
69	आदि विशेष्वर	प० - चौक रोड प० - कोनिया रोड नई सड़क उ० - बडा देव द० - पियरी पुलिस चौकी से बेनिया तिराहा	सीके० 38 आदि विशेष्वर सीके० 39 कुन्दीनगर टोला सीके० 40 घुघरानीगली सीके०- 41 हौज कटोरा सीके० 42 चाहमामा सीके०- 43 गोविन्दपुरा कलां सीके०- 44 वादीटोला सीके०- 45 छत्तातले

			सीके0- 46 भीखाशाह पहलवान सीके0- 47 सराय हड़हा सीके0 48 हड़हा सीके0- 66 बेनिया सीके0 67 फाटक शेख सलीम सीके0- 68 सराय सिताब राय सीके0 49 भुलेटन सीके0 50 हकाकटोला सीके0 51 कुँचा विन्ध्याचल सीके0 52 राजा दरवाजा सीके0 53 कुँचा मुअज्जम खॉ सीके0 54 गोविन्दपुरा खुर्द सीके0- 55 कुचा चम्पा शहीद सीके0-56 गली चन्दू हज्जाम सीके0-57 मच्छर हट्टा सीके0-58 ऑसमैरव सीके0-59 कटरा कर्णघण्टा सीके0 69 रेशमकटरा डी0 38 हाँज कटोरा
70	रानीपुर	पू0 - ककरमत्ता भिखारीपुर मुख्य मार्ग प0 - जानकी नगर कालोनी उ0 - भिखारीपुर से नेवादा द0 - महमूरगंज	एन0 10 ककरमत्ता एन0 11 रानीपुर
71	बजरडीहा	पू0 - ककरमत्ता से बनारस रेलवे स्टेशन प0 - तेलियाना से बजरडीहा पुलिस चौकी उ0 - तेलियाना से पटिया रोड़ द0 - जक्खा रोड़ शिवराज नगर	एन0 12 बजरडीहा
72	घसियारी टोला	पू0 - बसन्ता कालेज मार्ग प0 - बकरा भण्डार उ0 - कज्जाकपुरा द0 - मछोदरी पार्क	ए0 12 राजघाट बाजार ए0 14 भारद्वाजी टोला ए0 13 घसियारी टोला ए0 16 आदमपुर गंगा नगर कालोनी ए0 18 दीवानगंज
73	ईश्वरगंगी	पू0 - बडा गणेश का पश्चिमी भाग प0 - पिपलानी कटरा उ0 - कबीर चौरा अस्पताल द0 - नाटी ईमली चौराहा से औसानगंज	के0- 54 दारानगर के0- 55 राजापुरा के0 56 औसान गंज के0- 57 नवापुरा के0 67 ईश्वरगंगी सी0 23 नईबस्ती
74	बागहाड़ा	पू0 - भेलपुर दुर्गाकुण्ड मुख्य मार्ग प0 - गंगा नदी उ0 - एल0आई0सी0 कार्यालय बागहाड़ा बाउण्ट्री द0 - अग्रवाल रेडियों से शिवाला रोड़	बी0 4 अवधशर्की बी0 6 पिताम्बरपुरा बी0 7 बागाहाड़ा बी0 8 याड़ागंभीर सिंह बी0 9 पीलखाना बी0 10 क्रीमकुण्ड बी0 11 अहाता रोहिला बी0 12 गौरीगंज
75	शिवाला	पू0 - रविन्द्रपुरी मुख्य मार्ग	बी0 1 अरसी उत्तरी

		प० - गंगा नदी उ० - अस्सी चौराहा से अस्सी घाट रोड द० - सहारा हरिश्चन्द्र घाट रोड चेतसिंह किला शिवाला घाट	बी० 2 भदौनी सम्पूर्ण बी० 3 शिवाला बी० 5 अवधगर्बी
76	भगवानपुर	पू० - करोदी चौराहा हैदराबाद गेट प० - गंगा नदी उ० - मुरारी चौक छित्तपुरा रोड सी०सी० द० - ट्रामा सेन्टर सामने घाट मार्ग	भगवानपुर रा०ग्रा० नगवां रा०ग्रा० बी०एच०यू० वार्ड नं० 01 बी०एच०यू० वार्ड नं० 02 बी०एच०यू० वार्ड नं० 03 बी०एच०यू० वार्ड नं० 04 बी०एच०यू० वार्ड नं० 07 बी०एच०यू० वार्ड नं० 08
77	काजीपुरा	पू० - पितर कुण्डा त्रिमुहानी से दक्षिणी तक प० - पितरकुण्डा तालाब उ० - तकिया द० - पितरकुण्डा रोड़ से तकिया रोड़	सी० 14 काजीपुरा खुर्द सी० 17 पितरकुण्डा गर्बी सी० 18 माताकुण्ड डी० 62 सोनियारोड
78	मदनपुरा	पू० - बंगाली टोला प० - मान सरोवर घोबियाना गली उ० - सोनारपुरा चौराहा द० - जंगमबाडी	डी० 31 मदनपुरा डी० 43 सदानंद बाजार डी० 28 पाण्डेय हवेली बी० 18 रेवड़ी तालाब पूर्वी तथा रेवड़ी तालाब पश्चिमी बी० 16 पाण्डेय हवेली
79	बिन्दु माघव	पू० - चौक रोड से बुलानाला रोड़ प० - गंगा नदी उ० - सिधिया घाट द० - मछोदरी रोड़	सीके०- 1 पठानी टोला सीके०- 2 गोलाघाट सीके०- 8 गढ़वासी टोला सीके०- 9 मर्णिकर्णिका सीके०- 10 ब्रम्हनाल सीके०- 11 गली दिवानबाल मुकन्द सीके०- 12 कच्चीगली सीके०- 13 सुखलाल साहू लेन सीके०- 14 नन्दन साहू लेन सीके०- 15 सुड़िया सीके०- 16 गली सेवक राम सीके०- 17 बाबर शहीद सीके०- 18 ठठेरी बाजार सीके०- 19 बाडा मुनीरुद्दौला सीके०- 20 कूचा प्राण नाथ सीके०- 21 गली गोपाल दास सीके०- 22 छोटी कुंज गली सीके०- 23 रानी कूआं सीके०- 24 कुंज गली सीके०- 25 कागजी टोला

			सी०के- 26 कचौड़ी गली सी०के- 27 चपरिया गली सी०के- 28 पाचों पण्डवा सी०के०-29 राजगीर टोला सी०के०-30 गुरली गली सी०के०-31 ज्ञानवापी सी०के- 32 नेपाली खपड़ा सी०के०-33 टिकैत राय सी०के०-34 लाहीरी टोला सी०के०-35 गली विशेश्वर नाथ के०- 7 लालासुर की गली के०- 8 कटरा गली के०- 9 पत्थर गली के०- 10 सुकुल गली के०- 11 लड्डू गली के०- 12 गणेश गली के०- 13 कूँचा मोहनदास के०- 14 पोटिया गली के०- 15 कूँचा मन्साराम के०- 16 हाथी गली के०- 17 लक्ष्मण ज्योतिष के०- 18 नरायन दीक्षित गली के०- 19 उँचवा लाज के०- 20 राजमन्दिर के०- 21 दादुल चौक के०- 22 घाटे माधवराव के०- 23 दूध विनायक के०- 24 रामघाट के०- 25 सूतटोला के- 26 रंगीलादास फाटक
80	ओंकालेश्वर	पू० - मलिनिया चौराहा का पश्चिमी भाग प० - बलुआवीर का पूर्वी भाग उ० - जी०टी० रोड का दक्षिणी भाग द० - राजघाट मुख्य मार्ग का उत्तरी भाग	ए० 17 पठानी टोला ए० 27 आलमपुरा ए० 32 छित्तनपुरा ए० 25 सलेमपुरा ए० 23 सुग्गा गड़ही ए० 20 जेरगुलर ए० 24 कोयला बाजार ए० 26 हसनपुरा ए० 19 लाल खां चौहट्टा ए० 33 ओंकालेश्वर
81	कृतिवाशेश्वर	पू० - भैरवानाथ चौराहा से महामृत्यूजंय रोड प० - मछोदरी पार्क उ० - मछोदरी से कोयला बाजार द० - अम्बिया मण्डी रोड	के० 46 हरतीरथ के० 47 कतुआपुरा के० 52 वृद्ध काल के० 42 सेवा चौधरी
82	सूर्यकुण्ड	पू० - हौज कटोरा का पश्चिमी भाग प० - छोटी गैबी रोड	डी० 49 धुवेश्वर डी० 50 काजीपुरा कल्लों

		उ० - गिरजाघर चौराहा से गुरुबाग तिराहा द० - पानदरीबा रोड़	डी० 51 पानदरीबा डी० 55 घी हट्टा डी० 56 गीरबाग डी० 48 मिश्र पोखरा
83	पियरी कला	पू० - चेतगंज का पूर्वी भाग प० - कबीर चौराहा से पियरी पुलिस चौकी उ० - सरायगणेशवर्धन द० - डी०ए०वी० कालेज	सी० 5 तेलियाना सी० 6 बाग बरियार सिंह चेतगंज सी० 22 कबीरचौरा सी०के० 65 पियरी कला
84	गोला दीनानाथ	पू० - टाउन हाल प० - चेतगंज का पूर्वी भाग उ० - कबीर चौरा से मैदागिन मार्ग द० - दालमण्डी का उत्तरी भाग	के० 62 सप्तसागर के०- 63 भूतभैरव के०- 64 गोलादीनानाथ (भितरी) के०- 65 गोलादीनानाथ (बाहरी) सी०के०-60 कर्णघण्टा सी०के०-61 काशीपुरा पूर्वी सी०के०-62 काशीपुरा पश्चिम सी०के०-63 पियरी खुर्द सी०के०-64 हीरापुरा
85	धूपचण्डी	पू० - राम कटोरा जगतगंज रोड़ का पूर्वी भाग प० - डिगिया का पश्चिमी भाग उ० - रामकटोरा तिराहा से उत्तरी भाग द० - बाकराबाद का दक्षिणी भाग	जे० 11 नई बस्ती जे० 12 धूपचण्डी सम्पूर्ण
86	पितृकुण्ड	पू० - काजीपुरा खुर्द पूर्वी प० - बेनियाबाग नई सड़क का पश्चिमी भाग उ० - औरंगाबाद नई सड़क का उत्तरी भाग द० - पितरकुण्डा पानदरीबा रोड़ का दक्षिणी भाग	सी० 1 फाटक शेख सलीम सी० 2 हंकार टोला सी० 3 कालीमहाल सी० 10 जियापुरा सी० 11 पितरकुण्डा सरकी सी० 12 लहंगपुरा उत्तरी सी० 13 लहंगपुरा दक्षिणी सी० 16 लहंगपुरा पूर्वी
87	सरैया	पू० - रेलवे लाईन कज्जाकपुरा प० - नीव सारनाथ रोड़ उ० - वरुणा नदी द० - रेलवे लाईन सरैया डाटपुल	ए० 39 सरैया (ए० 39/1 से ए० 39/159 को छोड़कर)
88	बलुआबीर	पू० - कोयला बाजार रोड़ का पश्चिमी भाग प० - महामृत्युंजय मन्दिर का पूर्वी भाग उ० - हबीबुल्ला मार्ग से दक्षिणी भाग द० - बहेरिया टोला से उत्तरी भाग	जे० 2 उधोपुर जे० 3 कटेहर ए० 29 बलुआबीर के० 49 दुल्लीगड़ही के० 50 अम्बीया मंडी के० 51 मोहम्मद शहीद के० 48 कुतुबन शहीद
89	जंगमबाड़ी	पू० - गंगा नदी का उत्तरी भाग प० - जय नारायण कालेज रोड़ उ० - ताड़तल्ला मोहल्ला द० - दशाश्वमेध घाट रोड़	डी० 33 खालिसपुरा डी०- 35 जंगमबाड़ी डी०- 36 अगस्तकुण्डा डी०- 37 बड़ादेव डी०- 39 कोदई चौकी

			डी0 42 जगजीवनपुरा डी0 34 गनेश महाल
90	रामापुरा	पू0 - गोदौलिया से जंगमबाडी मठ प0 - छोटी गैबी मुख्य मार्ग उ0 - रेवडी तालाब पुलिस चौकी से गुरुबाग रोड का उत्तरी भाग द0 - गिरिजा घर चौराहा से लक्सा रोड का दक्षिणी भाग	डी0 44 बागरानी भवानी डी0 45 नई बस्ती डी0 46 मनिहारी टोला डी0 47 रामापुरा कला डी0 40 लक्ष्मनपुरा डी0 41 रामापुरा खुर्द डी0 52 लक्ष्मीकुण्ड डी0 53 लक्सा
91	बंगालीटोला	पू0 - गंगा नदी का पश्चिमी भाग प0 - गोदौलिया से सोनारपुरा का पूर्वी भाग उ0 - सोनारपुरा धोबियाना गली से चौकाघाट उत्तरी भाग द0 - शीतलाघाट का दक्षिणी भाग	डी0 20 मुंशीघाट डी0 21 राणामहाल डी0 22 चौसट्टी घाट डी0 23 चौसट्टी बाजार डी0 24 पाण्डेय घाट डी0 25 गंगाघाट डी0 26 देवनाथपुरा पूर्वी डी0 27 नाथुसाह ब्रम्हपुरी डी0 29 देवनाथपुरा खुर्द डी0 30 देवनाथपुरा कला डी0 32 बंगाली टोला वी0 13 सोनापुरा वी0 14 मानसरोवर वी0 15 फरीदपुर
92	लल्लापुरा कलौ	पू0 - बिग बाजार प0 - माताकुण्ड उ0 - काजीपुरा खुर्द द0 - पितरकुण्डा से सिगरा थाना रोड	सी0 15 लल्लापुरा कलौ
93	बागेश्वरी देवी	पू0 - बाकराबाद मियाबाबा का पूर्वी भाग प0 - अमाननुल्लाहपुरा उधोपुरा उ0 - हवीयबुल्ला रोड, दारानगर द0 - नाग कुआँ छमुहानी छोहरा रोड	जे0 6 जैतपुरा जे0 7 गोपाल गंज जे0 8 डिगिया जे0 9 ओरीपुरा जे0 28 आगागंज
94	कमलगढहा	पू0 - बकरीयाकुण्ड द्यूवेल का पूर्वी भाग प0 - गोलगड्डा जी0टी0 रोड स्टेट फिल्ड का पश्चिमी भाग उ0 - प्याले गढहा का उत्तरी भाग द0 - जी0टी0 रोड का दक्षिणी भाग	जे0 25 उस्मानपुरा जे0 26 कमलगढहा जे0 29 हुसैनपुरा जे0 30 छोहरा जे0 34 खेतबरानिया
95	काजी सादुल्लापुरा	पू0 - सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का पूर्वी भाग प0 - युनकर मार्केट बड़ी बाजार उ0 - बाकराबाद रोड द0 - जी0 टी0 रोड	जे0 13 चौकाघाट काटन मिल सम्पूर्ण जे0 14 काजी सादुल्लापुरा
96	दशाश्वमेध	पू0 - गंगा नदी का पश्चिमी भाग प0 - गोदौलिया से चौक मुख्य मार्ग का पूर्वी भाग उ0 - राणा महाल का उत्तरी भाग	डी0- 1 लाहौरी टोला डी0- 2 धर्मकूप डी0- 3 मीरघाट डी0- 4 डेढमल की गली

		द0 - मुख्य मार्ग का दक्षिणी भाग	डी0- 5 त्रिपुरा भैरवी डी0- 6 रानी भवानी गली डी0- 7 शकरकन्द गली डी0- 8 कालिका गली डी0- 9 गली विशेश्वर राम डी0- 10 साक्षी विनायक डी0- 11 कोतवालपुरा डी0- 12 नीची ब्रम्हपुरी डी0- 13 भण्डारी गली डी0- 14 टेढ़ीनीम डी0- 15 मान मन्दिर डी0- 16 गली जोगेश्वर डी0- 17 दशाश्वमेध सीके0 36 गली नन्दू फरिया सीके0 37 कोतवालपुरा डी0 18 अहिल्याबाई डी0 19 केवल गली
97	कालभैरव	पू0 - सोराकुआँ से ठठेरी बाजार गली का पूर्वी भाग प0 - चौखम्बा सट्टी से रामबाग वाली गली का पूर्वी भाग उ0 - संकठा जी मन्दिर गली से उत्तरी भाग द0 - मैदागिन से विशेश्वरगंज मुख्य मार्ग का दक्षिणी भाग	सी0के0-3 सूतटोला सी0के0-4 भिखारीदास सी0के0-5 कूचों खदेरुमल सी0के0-6 गोपाल गली के0- 27 कूचा माधोदास के0- 28 गली गोविन्द विनायक के0- 29 गणेश दीक्षित लेन के0- 30 घासी टोला के0- 31 गणेश चबरिया गली के0- 32 कालभैरव के0- 33 गलीभाट के0- 34 भैरो बाजार के0- 35 कूचा अमी चन्द के0- 36 ब्रम्हपुरी के0- 37 गली ग्वालदास के0- 38 ब्रम्हपुरी मलहिया के0- 39 बाग सुन्दर दास के0- 40 भूतई ईमली के0- 41 भण्डारी गली के0- 44 विश्वेशरगंज के0- 45 बाजार अन्नपूर्णा के0- 59 मैदागिन के0- 60 सिद्धमाता की गली सी0के0-7 सिद्धेश्वरी गली
98	जमालुद्दीनपुरा	पू0 - बडी बाजार जैतपुरा थाना प0 - जैतपुरा थाना से छमुहानी उ0 - नाग कुआँ द0 - जी0टी0 रोड़ उत्तर रेलवे लाईन	जे0 19 जमालुद्दीनपुरा जे0 20 जलालुद्दीन पुरा जे0 21 रसूलपुरा
99	बन्धु कच्चीबाग	पू0 - स्टेट फिल्ड रोड़ से पश्चिमी भाग प0 - खेत बसनिया	जे0 1 शेषमन बाजार जे0 31 बन्धु कच्चीबाग

		उ० - कमलगढहा व छोहरा रोड़ द० - हबीबुल्ला रोड़	जे० 32 बसनिया जे० 33 कच्चीबाग जे० 4 हंसतले जे० 5 अमानुल्लापुरा ए० 31/41 नवापुरा से अंत तक जोड़ा गया।
100	कमालपुरा	पू० - बत्तीस खम्भा चुनकर कालोनी का पूर्वी भाग प० - कमलगढहा रोड़ का पश्चिमी भाग उ० - ईश्वरगंगी बरती का उत्तरी भाग द० - बकरीया कुण्ड तालाब से दक्षिणी भाग	जे० 18 रालारपुरा जे० 22 लद्धनपुरा जे० 23 कमालपुरा जे० 24 ख्याजापुरा जे० 27 जैनपुरा जे० 10 बाकराबाद सम्पूर्ण

3/11
(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।
1

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, प्रभारी राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना (अंग्रेजी प्रारूप सहित) को दिनांक- 10 नवम्बर, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 50 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।
1

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- राज्य निर्वाचन आयुक्त/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
- 4- जिलाधिकारी वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार करायें।
- 5- सम्बन्धित निकाय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना/आदेश को अपने कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर लगवायें तथा व्यापक प्रचार करायें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।
1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1/3309/सी-6/सा0-274/न.नि. वाराणसी/2024

Dated 17/07/24
ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
वाराणसी।

मोबाइल नं- 9580017520

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.08847/सी0-6/सा0-274/न.नि. वाराणसी/2024 दिनांक 01.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसे पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया। डाक रसीद सी ट्रैक करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हो गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-वाराणसी स्थित अस्सी/नगवों ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रम सं0	नालों का नाम	टैप्ड/अनटैप्ड	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
1	नक्खा ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	नक्खा ड्रेन, सामने घाट ड्रेन एवं अस्सी/नगवों ड्रेन से सीवेज को सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय अस्सी/नगवों ड्रेन से लगभग 50 एम0एल0डी0 सीवेज नगवों पम्पिंग स्टेशन से पम्प कर रमना स्थित एसटीपी के माध्यम से शुद्धिकरण हेतु ले जाया जा रहा था तथा लगभग 28 एम0एल0डी0 अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। पूर्व में अस्सी/नगवों ड्रेन से निस्तारित किये जा रहे सीवेज का शुद्धिकरण वायोरेगिडिएशन प्रक्रिया द्वारा जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा किया जा रहा था। नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया किगत 15 दिन पूर्व वायोरेगिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था को हटा दिया गया है। निरीक्षण के समय गंगा नदी में नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन के माध्यम से अशुद्धिकृत सीवेज निस्तारित होता हुआ पाया गया तथा वायोरेगिडिएशन ट्रीटमेंट व्यवस्था भी हटा लिया गया था।
2	सामने घाट ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	
3	अस्सी/नगवों ड्रेन	पार्शियली टैप्ड	

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

निरीक्षण के समय अस्सी/नगवॉ ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूनों की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Assi/Nagwa drain before meeting with River Ganga near Sant Ravidas Park, Nagwa, Varanasi	17.05.2024	7.34	104	416	212	460000	210000
2	Nakkha drain before meeting with River Ganga, Varanasi.	17.05.2024	7.41	48	284	148	150000	70000
3	Samne Ghat drain before meeting with River Ganga Samne Ghat, Varanasi	17.05.2024	7.21	112	430	206	220000	130000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	-	<1000

उपरोक्त नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि अस्सी/नगवॉ ड्रेन, नक्खा ड्रेन एवं सामने घाट ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से माह जुलाई, 2020 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6.90 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि करते हुये वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 रू0 6.90 करोड़ (रू0 छः करोड़ नब्बे लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति घनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1331 / सी-6/1150-10/नए/पे-नए/कागजात/2024

Dated 17/7/24
ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

अधिसाषी अधिकारी,
नगर पंचायत, सूजाबाद,
वाराणसी।

मोबाइल नं- 9500817520

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैंड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पृष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.08849/सी0-6/सा0-10/न0 पंचायत/2024 दिनांक 01.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैंड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसे पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया था एवं उक्त की डाक रसीद को ट्रैक से ज्ञात हुआ कि उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.04.2024 को प्राप्त हो गया है, परन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सायर माता मन्दिर ड्रेन एवं घटवारी माता मन्दिर ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रमसं0	नालों का नाम	शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण
1	सायर माता मंदिर ड्रेन, नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी	वर्तमान में अनट्रीटेड सीवेज सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।
2	घटवारी माता मंदिर ड्रेन, नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी।	वर्तमान में अनट्रीटेड सीवेज सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे अनट्रीटेड सीवेज के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार सीवेज के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: Info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

निरीक्षण के समय सायर माता मन्दिर ड्रेन एवं घटवारी माता मन्दिर ड्रेन से लिए गये सीवेज के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	BB (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Saynr Mata Mandir Drain, Nagar Panchayat, Sujabnd, Varanasi	17.05.2024	7.14	114	470	294	25,00,000	13,00,000
2	Ghatwari Mata Mandir drain, Nagar Panchayat, Sujabnd, Varanasi	17.05.2024	7.21	120	478	278	34,00,000	22,00,000

उपरोक्त नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि सायर माता मन्दिर ड्रेन एवं घटवारी माता मन्दिर ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि नगर विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 20.12.2020 के माध्यम से ग्राम-सूजाबाद एवं डोमरी को सम्मिलित करते हुये नगर पंचायत, सूजाबाद का गठन किया गया था तथा नगर विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 10.11.2022 के माध्यम से वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्र का विस्तारीकरण (90 वार्ड से 100 वार्ड होने पर) के पश्चात नगर पंचायत, सूजाबाद को समाप्त करते हुये नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दि0 10.11.2022 से उपरोक्त वर्णित ड्रेन्स वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में दिनांक 20.12.2020 से दिनांक 09.11.2022 तक नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किये गये अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 20.12.2020 से दिनांक 09.11.2022 हेतु सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 20.12.2020 से दिनांक 09.11.2022 तक कुल उल्लंघनकारी 22.21 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2.27 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।


अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि करते हुये नगर पंचायत, सूजाबाद, वाराणसी के विरुद्ध उल्लंघनकारी 22.21 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2.27 करोड़ (रू0 दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-


Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(पृत्त-6)


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(पृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 13/16/24 / सी-6/VNS-05/न.पं.परिषद्/वाराणसी/2024

Dated 13-5-24
ई-मेल/पंजीकृत

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
चन्दौली।

मोबाइल नं- 05412-262862

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में जिला पंचायत, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित घुरहा नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा जिला पंचायत, चन्दौली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.08848/सी0-6/सा0-05/न.नि. वाराणसी/2024 दिनांक 01.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में जिला पंचायत, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित घुरहा नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा जिला पंचायत, चन्दौली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के सम्बन्ध में आप द्वारा पत्र दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से उत्तर प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि:

"..... 4. यह कि अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (नगरीय) निर्माण खण्ड प्रथम भगवानपुर वाराणसी के कार्यालय के पत्र संख्या 240 दिनांक 09.02.2024 द्वारा घुरहा नाला के उत्प्रवाह शोधन का आगणन अनुमानित लागत मु0-303.94 लाख रु0 तैयार कर प्रेषित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त आगणन में सन्निहित धनराशि की मांग जिलाधिकारी महोदय चन्दौली के पत्र सं0 3953 दिनांक 19.02.2024 द्वारा निदेशक महोदय पंचायती राज उ०प्र० लखनऊ से की गयी है लेकिन धनराशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई मार्गदर्शन ही प्राप्त हुआ है।

6. यह कि उपरोक्त आगणन में सन्निहित धनराशि की मांग जिलाधिकारी महोदय चन्दौली के पत्र सं0 4009 दिनांक 24.02.2024 द्वारा प्रबंध निदेशक उ०प्र० जल निगम लखनऊ से भी की गयी है लेकिन वांछित धनराशि अब तक उपलब्ध नहीं हो पायी है।

7. यह कि जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपरोक्त वर्णित घुरहा नाले के उत्प्रवाह के शोधन हेतु संयंत्र तैयार कराने हेतु इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध नहीं है और न ही यह विभाग इस तरह के कार्य के लिए विशेषज्ञ है, जिस कारण घुरहा नाला के माध्यम से जल के उत्प्रवाह के शोधन हेतु जिलाधिकारी महोदय के स्तर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र जारी कराते हुए यह अनुरोध किया गया है कि प्राक्कलन में सन्निहित धनराशि उ०प्र० जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराया जाये ..."

आप द्वारा उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्य से स्पष्ट है कि जिला पंचायत, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड घुरहा नाला के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। अतः आपके पत्र दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से प्रेषित उत्तर बलहीन एवं असंतोषजनक है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

E Mail send
13/6/24

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद-चन्दौली स्थित घुरहा नाले का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 17.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रम संख्या	नाले का नाम	शुद्धीकरण व्यवस्था का विवरण
1	घुरहा नाला	घुरहा नाले के किनारे स्थित ग्राम-पटनवा एव हमीदपुर, जनपद-चन्दौली से जनित अनट्रीटेड सीवेज प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निस्तारित किया जाता है, जो मल्टी गॉडल टर्मिनल, इनलैण्ड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इण्डिया, राहपुर के समीप गंगा नदी में गिरता है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे वेस्ट वाटर के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार उत्प्रवाह के नमूने में बी0ओ0डी0, सी0ओ0डी0, टी0एस0एस0 एवं फीकल कॉलीफार्म की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक पायी गयी।

निरीक्षण के समय घुरहा नाला से लिए गये उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या निम्नवत् है:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	Oil & Grease	FC (MPN/ml)
1	Ghuraha drain before confluence with River Ganga, Ralhupur, Tengra Mod, Varanasi	17.05.2024	7.32	42	268	154	12	170000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	-	<1000

उपरोक्त नमूने की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि घुरहा नाले से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत गाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में जिला पंचायत, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित घुरहा नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा जिला पंचायत, चन्दौली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से माह जुलाई, 2020 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2.30 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।


अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण यताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि करते हुये जिला पंचायत, चन्दौली के विरुद्ध उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2.30 करोड़ (रू0 दो करोड़ तीस लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, चन्दौली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प०



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 3552 / सी-6/200-11/न.प.परि./2024

Dated 11-7-24

सेवा में,

ई-मेल/पंजीकृत

अधिसापी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर,

चन्दौली।

मोबाइल नं- 65412-856296

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच.08850/सी0-6/सा0-11/न.प.परि./2024 दिनांक 01.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2024 को कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा निर्गत किया गया था। भारतीय डाक के पोर्टल से प्राप्त ट्रैक रिपोर्ट के अनुसार, जो नगर पालिका परिषद को दिनांक 09.04.2024 को प्राप्त हुआ। उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 के सम्बन्ध में कोई उत्तर राज्य बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....5. Let the fresh action taken report be filed by the UPPCB indicating the remedial action as also the punitive action of imposition and recovery of EC on the defaulting person/body at least one week before the next date of hearing....."

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत स्थित गंगा नाला ड्रेन एवं रेलवे नाला ड्रेन का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा दिनांक 16.05.2024 को किया गया, जिसमें विवरण निम्नवत् पाया गया:-

क्रम सं0	नालों का नाम	शुद्धिकरण व्यवस्था का विवरण
1	गदा नाला (पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर)	वायोरेगिडिएशन के पश्चात् शुद्धीकृत बहिराव गंगा नदी में निस्तारित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे वायोरेगिडिएशन के पश्चात् शुद्धीकृत बहिराव के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार शुद्धीकृत बहिराव के नमूने में बी0ओ0डी0 की मात्रा-68 मिलीग्राम/लीटर, सी0ओ0डी0 की मात्रा-324 मिलीग्राम/लीटर, सस्पेन्डेड सॉलिड्स की मात्रा-190 मिलीग्राम/लीटर, ऑयल एण्ड ग्रीस की मात्रा-11 मिलीग्राम/लीटर एवं फीकल कॉलीफार्म -1,30,000 एमपी0एन./100 मि.ली. पायी गयी, जो कि निर्धारित मानको से अधिक है।
2	रेलवे नाला (पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर)	वायोरेगिडिएशन के पश्चात् शुद्धीकृत बहिराव गंगा नदी में निस्तारित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय निस्तारित हो रहे वायोरेगिडिएशन के पश्चात् शुद्धीकृत बहिराव के नमूने का एकत्रण कर विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार शुद्धीकृत बहिराव के नमूने में बी0ओ0डी0 की मात्रा-84 मिलीग्राम/लीटर, सी0ओ0डी0 की मात्रा-344 मिलीग्राम/लीटर, सस्पेन्डेड सॉलिड्स की मात्रा-182 मिलीग्राम/लीटर, ऑयल एण्ड ग्रीस की मात्रा-12 मिलीग्राम/लीटर एवं फीकल कॉलीफार्म -94,000 एमपी0एन./100 मि.ली. पायी गयी, जो कि निर्धारित मानको से अधिक है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com



निरीक्षण के समय गंडा नाला एवं रेलवे नाला से बायोरेमिडिएशन के पश्चात् एकत्रित किये गये ट्रीटेड सीवेज की गुणता निम्नवत् पायी गयी:-

Sl. No.	Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters					
			pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/ml)
1	Ganda Nala after bioremediation Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Chandauli	16.05.2024	7.27	68	324	190	2,20,000	1,30,000
2	Railway Nala after bioremediation Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Chandauli	16.05.2024	7.31	84	344	182	1,50,000	94,000
Standards			5.5 - 9.0	30	250	100	-	<1000

उपरोक्त नमूनों की विश्लेषण आख्या से स्पष्ट है कि गंगा नाला ड्रेन एवं रेलवे नाला ड्रेन से निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह की गुणता निर्धारित मानको से अधिक है तथा उक्त ड्रेन से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० रा०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से माह जुलाई, 2020 से माह अप्रैल, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 4.60 करोड़ अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत राक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण वताओ नोटिस दिनांक 01.04.2024 की पुष्टि करते हुये नगर पालिका परिषद, पं दीनदयाल उपाध्याय नगर, चन्दौली के विरुद्ध उल्लंघनकारी 46 माह हेतु रू० 05 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 4.60 करोड़ (रू० चार करोड़ साठ लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

Payment Gateway- <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>

Nature of Pollution- Water Pollution

EC imposed in compliance- NGT Order


राक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत



मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, चन्दौली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)